RAJYA SABHA

Friday, 28th February 1958

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI N. RAMAKRISHNA IYER

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the following letter dated the 22nd February, 1958, has been received from Shri N. Ramakrishna Iyer:

"I sustained fracture in my right leg in a motor accident on 5th January, 1958. My leg is in plaster and I am confined to bed. I have to remain so, under medical advice, for a month more. Consequently I am unable to attend the Twentieth Session of the Sabha. I request you to get the permission of the Sabha to be absent from the meetings of the Rajya Sabha in its Twentieth Session."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Iyer for remaining absent from all meetings of the House for the current session?

(*No hon. Member dissented.*)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

RESOLUTION REGARDING RESERVATION OF SEATS FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES—*continued.*

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajabhoj, you have taken 17 minutes; you have 13 minutes more.

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई): यह प्रस्ताव मेरे लिए बहुत अहम है और मैं इसे समय पर समाप्त कर दूंगा।

MR. CHAIRMAN: Yes, but still 13 minutes.

श्री पां० ना० राजभोज: सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है, उस में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किस तरह से और किस रूप में किया जाना चाहिये।

"अस्पृश्यता को किसी भी रूप में बरतना अपराध होगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।"

इसके अनुसार हमारे देश में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कानून बन चुका है और कानून बनने के बाद जितना उसका प्रभाव देहात में होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इस संबंध में जो कुछ भी कार्य शुरू किया गया है, उसे आरम्भ हुए दो-चार ही वर्ष हुए हैं और गवर्नमेंट का ध्यान भी पिछले दो-तीन वर्षों से ही इस समस्या की ओर गया है। अभी तक जो कार्य हुआ है, वह केवल प्रोपेगण्डा की दृष्टि से हुआ है, कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से कई प्रकार का काम होना अभी बाकी है और आवश्यक है। हमारे विधान में इस संबंध में कई बातें लिखी हैं, लेकिन सरकार के सब काम विधान के मुताबिक पूरे नहीं हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने इस संबंध में भाषण दिया था तो कहा था—कई प्रकार के लोगों का भी कहना है—कि इस संबंध में अभी तक हरिजनों के लिए कई प्रकार के कार्य करने हैं और उनकी आर्थिक, सामाजिक और कई प्रकार से उन्नति होनी बाकी है। इसके साथ ही साथ उन लोगों का ख्याल यह भी है कि हरिजनों की भलाई के लिए

[श्री पां० ना० राजभोज]

ज्यादा से ज्यादा अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के लिए हमार संविधान की धारा ३३५ में यह लिखा है :

"संघ या राज्य के कार्यो से संसक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।"

इस बात को सदन के सब सदस्यों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि संविधान में किस तरह का आश्वासन दिया हुआ है। इसी संविधान की धारा ३३८ में यह लिखा है : "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।" यह पदाधिकारी नियुक्त भी हो गया है और वह समय समय पर अपनी रिपोर्ट देता है। मगर देखने में यह आता है कि स्टेट सरकारें अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा नहीं रही हैं।

सभापति महोदय, संविधान की धारा ३३८ के दूसरे हिस्से में यह लिखा है :

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियो में, जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।"

इसी अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिन को राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद ३४० के खण्ड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी है।

सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने संविधान की धारा ३३९ (१) रखना चाहता हूं, जिसमें लिखा है :

"प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी तथा उसमें वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वाछनीय समझे।"

तो मैं यहां पर दूसरी बात पदाधिकारियों के सामने बताना चाहता हूं, वह यह है कि इसी धारा के भाग (२) में यह दिया हुआ है :

"संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निर्देश देने तक होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों।"

हमारे संविधान में पिछड़े वर्गों के बारे में कई बातें लिखी है। संविधान की धारा ३४१ में यह लिखा है :

"(१) राष्टपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिम जाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना मे उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।"

कितनी अच्छी बातों का हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, लेकिन सभापति महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सब बातों के अनुसार पूरा काम नहीं हुआ है।

हमारे संविधान की धारा ३४२ में यह लिखा है :

"(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति समुदायों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी।

संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय को अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।"

इस तरह की अच्छी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, जिसके द्वारा हम लोगों की भलाई हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह का ख्याल हमारे और नेताओं का भी है कि इन चीजों से हम लोगों की भलाई बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त ने यह राय प्रकट की है कि १९६२ के बाद हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन आदिवासियों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो सुविधा अभी तक मिली हुई है, वह जारी रह सकती है। मेरी प्रार्थना आप से यह है कि हरिजनों में ही छुआछूत की

[श्री पां० ना० भोज]

प्रथा बहुत ज्यादा आदिवासियों में यह प्रथा नहीं है। हरिजनों में बहुत सी जातियां हैं, जिनमें तरह तरह की बुराई फैली हुई है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जितना काम इन जातियों की भलाई के लिये होना चाहिये था, उतना अभी तक नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थना आप से यह है कि आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति में ठीक तरह से सुधार नहीं हुआ है। देहातों में उनकी दशा में कुछ भी अन्तर नहीं आया है। शहरों में थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, जैसे मंदिर खुल गये हैं, होटलों में जाने की इजाज़त हो गई है। हरिजन सेवा संघ और भारत दलित सेवक संघ इस ओर थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन १० वर्ष की अवधि और बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन यह कार्य अभी शुरू हुआ है। महात्मा गांधी के अन्त के बाद इस कार्य में बहुत रुकावट पड़ गई है। महात्मा जी गांव गांव घूमते थे, इसका प्रचार करते थे और प्रार्थना के समय इसकी चर्चा करते थे। गाधी जी के बाद विनोबा जी गाव गांव घूमते हैं। जो कार्य वे कर रहे हैं, वह मुझे बड़ा अच्छा लगता है; लेकिन जो काम वे करते हैं वह वे अधिकतर भूदान के बारे में करते हैं। वे चाहते हैं कि सब को ज़मीन मिलनी चाहिये। लेकिन हमारे देश की जो खास समस्या है वह ठीक तरह से हल नहीं हो रही है। एक स्थान में विनोबा जी ने कहा है :

"अस्पृश्यता निवारण का कार्य स्वतन्त्र भारत में भी बहुत कुछ करने को बाकी है। हरिजनों को जब तक सामाजिक जीवन में सब तरह से बराबरी का दर्जा नहीं है, तब तक अपना देश स्वतन्त्र हुआ, ऐसा मान ही नहीं सकते। कानून में अस्पृश्यता नहीं रही, पर व्यवहार में भी वह नहीं रहनी चाहिये।"

उन्होंने इतने ज़ोरदार शब्दों में कहा है और वे यह मानते हैं कि अस्पृश्यता व्यवहार में है। फिर आगे उन्होंने यह लिखा है :

"भूदान यज्ञ के सिलसिले में हम तीन साल से सतत् पैदल घूम रहे हैं, तो गांव गाव की हालत देखने का मौका मिलता है। हरिजनों के लिये जगह जगह रुकावटें हैं। यह कितना अधर्म है, इसका भान हम लोगों को कराते हैं। भूदान यज्ञ का आरम्भ भी ता० १८ अप्रैल, १९५१ को पोचपल्ली गांव में हरिजनों की मांग पर ही हुआ था। तब से हमने यह अमूल ही रखा है कि भूदान यज्ञ में जो ज़मीन मिलेगी, उसका कम से कम एक तिहाई हिस्सा भूमिहीन हरिजनों को देना है।"

मुझे आशा है कि इससे हरिजनों के उत्थान के लिये काफ़ी मदद मिलेगी और उनकी बातों पर अमल किया जायेगा।

महाराष्ट्र के स्वर्गीय श्री काका साहेब बरवे ने अपनी किताब में कितनी ही बातें इस सम्बन्ध में लिखी हैं कि अभी अस्पृश्यता

का अन्त दृष्टिगोचार नहीं हुआ है । एक स्थान में उन्होंने यह लिखा है :

"करीब २५ साल पहले की बात है, डा० अम्बेडकर साहब खानदेश के चालिसगांव स्टेशन पर आये । गांव में जाने के लिये उन्हे तांगे की जरूरत थी । स्टेशन पर स्वागत के लिये कुछ हरिजन भाई पहुंचे थे । उससे तांगे वाले समझ गये कि डा० अम्बेडकर साहब एक हरिजन है । उन्होंने एक तांगा तो दे दिया किन्तु स्वयं चलाने मे इन्कार कर दिया । फिर एक हरिजन भाई तांगा हांकने को बैठा, किन्तु वह अनजान होने के कारण ठीक नहीं चला सका और डा० साहब तांगे से गिर पड़े । इसी प्रकार की घटना माननीय श्री जगजीवनराम जी के साथ घटी, जब वे काशी विश्वविद्यालय में बी० एस० सी० के छात्र थे । वे दाढ़ी बनवा रहे थे । बातचीत के दौरान में नाई को जैसे ही मालूम हुआ कि जगजीवन बाबू दलित वर्ग के सदस्य हैं तो वह काम अधूरा छोड़कर क्षमा याचना करता हुआ चला गया ।"

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय (मध्य प्रदेश) : यह पुरानी बात है ।

श्री पां० ना० राजभोज : यह पुरानी बात है, लेकिन नई बातें बहुत है । मैं जानता हूं कि हमारे सदन में कई प्रकार के सुधारक लोग हैं । कुछ पुराने ख्यालात के भी हैं । इसी महीने की ९ तारीख को मैंने इस हाउस के सामने रखा था कि दिल्ली के पास एक गाव है, जिसमें अभी हरिजनों को पानी भरने का मौका नही मिलता है । मुझे ज्यादा टाइम मिले तो मैं सब प्रकार की नई बातें आपके सामने रखूं । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में श्री बाल्मीकि जी ने कहा है कि आज भी देहातों में कोई हरिजन अच्छे कपड़े पहनता है, तो उससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है । इन्ही बातों के कारण मैंने पुरानी बात रखी । आज भी जब मैं कही जाता हूं . . .

(Time bell rings.)

बड़ा ही इम्पार्टेंट विषय है ।

MR. CHAIRMAN: Importance does not depend on the length of the speech.

श्री पां० ना० राजभोज : पांच-दस मिनट में सब हो जायेगा । कृपा करके थोड़ा टाइम दे दीजिये ।

MR. CHAIRMAN: No. Hurry up. One minute.

श्री पां० ना० राजभोज : बहुत सी बातें है लेकिन सब बातें बताने के लिये मेरे पास समय नही है । मैंने गांधी जी के साथ कई वर्ष काम किया है । गांधी जी से जो मेरा पत्र-व्यवहार हुआ है, वह मैंने प्रकाशित किया है । हरिजनों को और सवर्णों को क्या करना चाहिये, ऐसी बातों के लिये मैंने उनसे सवाल पूछा था । जब तक सवर्ण भाइयों के साथ हमारा सम्बन्ध है, दोस्ती है, तब तक ठीक है । आज आप देखिये कि हम यहां आपस में खान पान करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन देहातों में क्या परिस्थिति है । देहातों में बहुत ही खराब परिस्थिति है । इसी वास्ते मेरी प्रार्थना है कि यह प्रस्ताव पास होने की आवश्यकता है । मनुस्मृति और दूसरे धार्मिक ग्रंथों मे हरिजनों के विरुद्ध बहुत सी बातें लिखी हुई है जिनको कानून के द्वारा बन्द करना चाहिये । तो मेरी यह प्रार्थना है कि धार्मिक ग्रंथों में अस्पृश्यता के सम्बन्ध

[श्री पा० ना० राजभोज]

में जो बहुत सी बातें भरी हुई हैं, उनके लिये गवर्नमेंट को कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

डा० अम्बेडकर साहब के साथ भी मैंने बहुत वर्षों तक काम किया। उन्होंने भी बहुत सी अच्छी बातें बताई। यह दूसरी बात है कि कुछ बातों में हमारा उनका मतभेद रहा हो। मैं यह भी जानता हूं कि जब से गृह-मंत्री पंत जी आये हैं, तब से थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है। पंत जी इस समय सदन से जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे स्टेट चीफ-मिनिस्टर्स को बुलायें और शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर को बुलायें और उनसे पूछें कि अच्छा काम क्यों नहीं होता है। इस सम्बन्ध में थोड़े दिन पहले एक कांफ्रेंस हो चुकी है। तो जब से पंत जी होम मिनिस्टर हुये हैं तब से कुछ काम शुरू हुआ है। अभी बहुत काम बाकी है। इसलिये मैं दस वर्ष बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा हूं। आज हिन्दी लैंग्युएज और दूसरी बातों के लिये समय बढाने की बात कही जा रही है। लेकिन यह देखना चाहिये कि आज हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति क्या है। आज भी हमारा जीवन कुत्ते और जानवरों के सरीखा है। उत्तर के समय जब और समय मिलेगा तब मैं इस सम्बन्ध में और बातें बतलाने का प्रयत्न करूंगा। इस समय मेरा यही कहना है कि ये दस वर्ष बढाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अभी हमारी स्थिति सुधरी नहीं है। पहले कई प्रकार के होम मिनिस्टर यहां हो चुके हैं, लेकिन वे कुछ ठीक काम करते नहीं थे। अब मैं यह चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब सब चीफ मिनिस्टर्स से पूछें कि तुम्हारी स्टेट में क्या हो रहा है। आज स्टेट्स के मिनिस्टर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। क्या वजह है कि उनसे कोई पूछता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीमें बनती रहती हैं लेकिन उन पर ठीक तरह से अमल नहीं होता है। मिसेज अल्वा ने हरिजनों के सम्बन्ध में बहुत से आंकड़े दिये थे, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में नौकरी के बारे में ठीक तरह से काम नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ज़मीन का बंटवारा भी हरिजनों के लिये ठीक तरह से नहीं हुआ है। हाउसिंग स्कीम और गंदी बस्तियों के बारे में हम लोगों को स्टेटिस्टिक्स मालूम होनी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर ने कई बातें लिखी हैं, लेकिन उन पर ठीक तरह से अमल नहीं हो रहा है। इसीलिये मेरा यह विचार है कि यह दस वर्ष बढाने की बहुत आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि यह जात-पांत का मामला हमेशा रहे या हम हमेशा हरिजन या चमार आदि बने रहें। जब समाज में दूसरी जातियों के साथ हमारा दर्जा बराबरी का हो जायेगा तब हम किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं चाहेंगे। समय ज्यादा हो गया है, इसलिये मैं अब समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

> "This House is of opinion that the period of reservation of seats in Parliament and in the State Legislatures provided for the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Constitution should be extended from ten years to twenty years."

There is an amendment by Mr. Patil. He is not here. Therefore, it falls. The Resolution is before the House for discussion. Shrimati Lakhanpal.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, इस समय सदन के सामने जो प्रस्ताव विचाराधीन है, उसके द्वारा मांग की गई है कि संविधान में अनुसूचित और जनजातियों को जो विशेषाधिकार दस साल के लिये दिये गये हैं, उनकी

सीमा को बढ़ा कर दस साल से बीस साल कर दिया जाये ।

यह विषय ऐसा है कि प्रारम्भ मे ही यह कह देना चाहती हूं कि प्रस्तावक महोदय ने जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ अपनी विचारधारा को सदन के सामने रखा है, उसमें किसी को भी उनकी सद्भावना में, उनके उत्साह में और उनकी जो अपनी जाति के लिये त्याग और प्रेम की भावना है, उसमें ज़रा भी शक नही है, सन्देह नही है; लेकिन फिर भी मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगी कि ऐसे प्रस्ताव पर, ऐसे गम्भीर विषय पर विचार करने से पहले वे इस विषय के सब पहलुओं पर विचार कर लें, तो ज्यादा अच्छा हो । जो पहलू मैं उनके सामने रखने वाली हूं, वह उनसे भिन्न पहलू है, लेकिन इसके माने यह नही है कि मैं उनकी भावनाओं का आदर नहीं करती हूं, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं । तो मेरा केवल यही अनुरोध है कि जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा दृष्टिकोण है, उस पर भी वे विचार करें और मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद वे इस विषय के सम्बन्ध में ठीक निर्णय पर पहुंच सकेंगे ।

श्रीमन्, कहा जाता है कि आमतौर से यह मांग इसलिये की जाती है कि जो अनुसूचित जातियां है, उनकी हालत आज भी, सात आठ साल के बाद भी कोई अच्छी नहीं हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और जैसा कि अभी उनके द्वारा कहा गया है कि गांवों में हालत बहुत ज्यादा चिन्ताजनक है और वहां कोई सुधार नही हुआ है । लेकिन उन्होंने इसका जो उत्तरदायित्व ज्यादातर भारत सरकार के ऊपर डाला है, यह बात मुझे कुछ ज्यादा जंची नहीं । मेरा ख्याल है कि उनकी हालत सुधारने का जो दायित्व है, जो ज़िम्मेदारी है, वह और लोगों पर भी है । आज जो हालत है वह खास तौर पर क्या है ? हमारे सामने जो हालत है, वह यह है कि हम देखते हैं कि हरिजन कम्यूनिटी के कुछ थोड़े से टापमोस्ट मुखिया कहलाने वाले व्यक्ति या परिवार ही उन विशेषाधिकारों से लाभ उठाते हैं, ये ज्यादातर वही परिवार हैं जो कि चमकते और फलते-फूलते नजर आते हैं । उद्देश्य तो यह होना चाहिये था और उनसे आशा भी यही थी कि उनकी कम्यूनिटी के बाकी और जो लोग हैं, उनको इन विशेषाधिकारों का भान कराते और उन तक उन सुविधाओं को पहुंचाते, लेकिन उनके अन्दर इतनी ज्यादा स्वार्थपरता मौजूद है कि वे उन विशेषाधिकारों को खुद ही हड़प जाना चाहते हैं और उनका भान दूसरों को होने तक नहीं देते । परिणाम यह होता है कि जिन व्यक्तियों तक इन विशेषाधिकारों को पहुंचना चाहिये था और जिन्हें उनकी विशेष ज़रूरत थी उन तक नहीं पहुंचता है और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वार्थ के वश में हो कर इनका यह इंटरेस्ट हो जाता है, यह हित हो जाता है कि उन गरीब, नादान, भोले भाले, अनपढ़ भाइयों को एक्सप्लायट करें, उनको वैसी ही गिरी हालत में रखें ताकि वे अपने रिजर्वेशन और विशेषाधिकार की मांगों को सदा जीवित बनाये रख सकें । यह वास्तव में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है लेकिन मैं समझती हूं कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर ज्यादा है, जो कि अपने आप को मुखिया कर के मानते हैं और अपने को उनका ठेकेदार कहते हैं और अपने को अछूत जातियों के हितों के रक्षक और ठेकेदार मानते हैं ।

इस बारे में एक और भी ख्याल है . . .

श्री किशोरी राम (बिहार) : ठेकेदारी तो हरिजन सेवक संघ ने ली है, आप लोगों ने ली है ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज (मध्य प्रदेश): आप लोगों ने ठेकेदारी ले ली है ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहती हूं कि वे मेरे पूरे दृष्टिकोण को सुन लें और समझ लें और उसके बाद फिर मैं भी उनके दृष्टिकोण को समझने के लिये पूरी तरह से तैयार हूं ।

श्री किशोरी राम : दृष्टिकोण तो हमारा आपके साथ है, आदर्श भिन्न है ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : एक बात यह भी कही जाती है कि हमने इन विशेषाधिकारों के द्वारा एक आकर्षण पैदा कर दिया है । हरिजनों को विशेषाधिकार दे कर एक प्रिवलेज्ड क्लास, एक अलग सा क्लास बना दिया है और उसका नतीजा यह है कि आज जो ऊंची जाति के लोग हैं--ब्राह्मण तक भी--वे हरिजन बन जाना चाहते हैं । इस विषय में तो मेरा निजी अनुभव है । मेरे पास अक्सर कई विद्यार्थी आते हैं और वे कहते हैं कि उनको हरिजन होने का, शिड्यूल्ड कास्ट होने का, एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाये । असल में बात यह है कि हर एक जाति के अन्दर, चाहे वह ऊंची भी हो, इतने ज्यादा पिछड़े हुये लोग हैं, इतने ज्यादा गिरे हुये लोग हैं कि वे यह समझते हैं--- चाहे वे ब्राह्मण हों, क्षत्री हों या वैश्य हों--कि कितना अच्छा होता कि हम भी को हरिजनों की सी विशेष सुविधायें प्राप्त हो जातीं ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : ठीक है, आप पोजीशन एक्सचेंज कर लीजिये । जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्राह्मण मिनिस्टर हैं, उनकी जगह पर हरिजनों को मिनिस्टर बना दें और जितने हरिजन हैं, उतने ही ब्राह्मण कर दीजिये ।

Exchange the position and I am prepared to leave the reservation. Exchange the position.

श्रीमती चन्द्रावतीलखनपाल : श्री अग्निभोज जी बेकार को भड़क रहे हैं, मैं उससे पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि यह जरूरी नहीं है कि यह विचारधारा मेरी अपनी है, लेकिन ये बातें हवा में हैं, वातावरण में हैं इसलिये इन सब विचारों का सामना करने से और उन पर अच्छी तरह से विचार कर लेने से हमको मदद ही मिलेगी ।

एक और विचार है और वह यह है कि हरिजनों के अन्दर इन विशेषाधिकारों के द्वारा एक पार्थक्य की भावना पैदा होती जा रही है । इसमें कोई संदेह नहीं कि जब ये अधिकार दिये गये थे, तो इसका उद्देश्य यह था कि यह सारी कम्यूनिटी अपने को सुधार कर, अपने को ऊंचा बना कर ऐसी स्थिति में आ जाये कि हरिजनों के अन्दर और ऊंची जातियों के अन्दर जो आज एक अलगाव की भावना है, जो एक पार्थक्य की भावना है, उनके बीच में जो एक खाई है वह मिट जाये और वह हिन्दू समाज का एक अभिन्न अंग बन जाये । इन विशेषाधिकारों को देने का उद्देश्य यही था, लेकिन जो परिणाम आज हमारे सामने है वह यह है कि आज हरिजन कम्यूनिटी में एक पार्थक्य की भावना दृढ़ होती चली जा रही है । अलग अलग जो संस्थायें खोली जा रही हैं, जो हरिजन होस्टल, हरिजन छात्रावास, हरिजन स्कूल, हरिजन आश्रम आदि आदि खोले जा रहे हैं, ये हरिजनों के अन्दर और सवर्ण जातियों के अन्दर एक पार्थक्य की भावना को लाने में और भी ज्यादा मदद दे रहे हैं ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : आप ज्यादा पैदा कर रही हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : मैं समझती हूं कि इसी खतरे को समझ कर अभी इस विषय पर विचार करने के लिये एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें यह विचार किया गया था कि हर एक होस्टल में, छात्रावासों में ऐसी भी व्यवस्था की जाये कि शिड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स भी रह सकें जो कि नान-शिड्यूल्ड कास्ट के हों या कि सवर्ण जातियों के हों, जिससे कि आज

दोनों वर्गों के अन्दर जो पार्थक्य की भावना आती जा रही है, वह न आये ।

इसके अलावा एक और भी विचार है और वह यह है कि जातियों के आधार पर विशेषाधिकार दे कर कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जाति के भाव को ही, जाति के विचार को ही, हम एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं । असल में देखने में यह आया है कि ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों, जिनके अन्दर कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स नहीं होते, जो कि अछूतपन को मानते ही नहीं हैं उन लोगों की तरफ से भी . . . .

श्री किशोरी राम : आपको पता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के ही लोग ईसाई बन रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : श्रीमन्, मैं इन इंट्रप्शंस पर ध्यान न दे कर अपनी बात कहना चाहती हूं कि क्योंकि आप घंटी बजा देंगे और फिर मैं अपनी पूरी बात भी न कह सकूंगी ।

ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों के अन्दर जात-पांत नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इन सब लोगों की तरफ से एक आवाज़ उठाई गई है कि उनके अन्दर भी दलित जातियां हैं, उनके अन्दर भी हरिजन हैं और अगर हरिजन नहीं हैं, तो कम से कम इस प्रकार की पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनकी हालत हरिजनों से किसी हालत में भी अच्छी नहीं है । उन्होंने इनके लिये विशेषाधिकार मांगा है और मैं समझती हूं कि इस मांग में किसी हद तक काफी सचाई थी और उस सचाई को मानते हुये ही भारत सरकार की ओर से एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की नियुक्ति हुई जिसकी अध्यक्षता हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री काका कालेलकर जी ने की । उन्होंने, उस कमीशन ने, सारे देश के अन्दर टूर किया और जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी उसके अन्दर उन्होंने २,३९९ ऐसी जातियों के नाम गिनाये जो कि बैकवर्ड और पिछड़ी हुई जातियां मानी जाती थीं । जब यह रिपोर्ट माननीय गृह-कार्य मंत्री, माननीय श्री पंत जी के सामने रखी गई, तब उन्होंने उस वक्त ठीक ही कहा था कि अपने देश के अन्दर इतनी अधिक बैकवर्ड जातियां हैं कि देश के ७५ फीसदी व्यक्ति बैकवर्ड कहे जा सकते हैं । श्रीमन्, जिस देश के अन्दर ७५ फीसदी लोग बैकवर्ड हों और जिस देश के अन्दर ९० फीसदी लोग अनपढ़ हों, वह सारा का सारा देश एक बैकवर्ड देश है, वह सारा का सारा देश एक पिछड़ा हुआ देश है, ऐसा माना जाना चाहिये । और गृह-मंत्री ने तब यह भी कहा था कि जब सारा का सारा देश ही बैकवर्ड है, तो बैकवर्डनैस के आधार पर किस प्रकार से विशेषाधिकार दिये जा सकते हैं । तो, श्रीमन्, मैं यह सब बातें जो कह रही हूं इनसे मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हरिजनों को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनके मैं विरुद्ध हूं । मैं तो यहां तक कहना चाहती हूं कि हिन्दू समाज का हरिजन भाइयों के प्रति एक धार्मिक कर्त्तव्य है, एक पवित्र कर्त्तव्य है, एक पवित्र बोझा और जिम्मेदारी है और वह बोझा तब तक नहीं उतर सकता है, उस उत्तरदायित्व और धार्मिक बोझे से हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते, जब तक कि हरिजन हिन्दू समाज के अविभाज्य और अभिन्न अंग न बन जायें । श्रीमन्, इसी उद्देश्य से ये विशेषाधिकार संविधान के द्वारा दस साल तक के लिये दिये गये थे । उनका उद्देश्य यह था कि जो भेदभाव---एक अंतर, एक पृथकता, एक गैप---हरिजनों के अन्दर और सवर्ण जातियों के अंदर है, वह मिट जाये ।

(Time bell rings.)

लेकिन, दुर्भाग्य की बात यह है कि इन विशेषाधिकारों की मर्यादा होती है, सीमा होती है और उस मर्यादा के अन्दर ही, सीमा के अन्दर

[श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल]

ही, उन उद्देश्यों को, उन विशेषाधिकारों की उपयोगिता है। मैं आपके सामने यह निवेदन किया चाहती हूं कि मेरी यह मान्यता है कि अगर सीमा के बाहर विशेषाधिकार को दिया जाये, तो उनकी उपयोगिता हानि में परिणत हो सकती है। श्रीमन्, जो विचार मैंने रखे हैं, यदि उनमें कुछ सच्चाई है . . .

श्री रामेश्वर अग्निभोज : कम से कम आपको तो हानि होगी ही।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : श्रीमन्, एक रोगी, जब वह अच्छा होने लगता है और अच्छा होने के बाद जब वह चलना शुरू करता है, तो इसमें संदेह नहीं कि उसको डाक्टरों द्वारा यह एडवाइज़ दी जाती है, उसको यह अधिकार दिया जाता है कि वह लाठी का सहारा लेकर चलना सीखे। यह ठीक है कि शुरू में उसे लाठी दी जाती है, लेकिन अगर वह सदा ही लाठी लेकर चलता रहे, तो क्या वह कभी स्वतन्त्र रूप से चलना सीख सकेगा। इसी प्रकार से मेरा यह कहना है कि यदि विशेषाधिकार बहुत लम्बे अर्से तक हरिजन भाइयों और अनुसूचित जातियों को दिये जायें तो उनके अन्दर एक साइकोलाजी आफ डिपेंडेंस, एक पराश्रयता की भावना और मनोवृत्ति पैदा हो जाने का खतरा है।

श्रीमन्, जिस जाति के अन्दर आत्म-सुधार करने का इनिशियेटिव है, इच्छा और अभिलाषा है, अगर वह जीवन-संग्राम में अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहती है, तो वह जाति विशेषाधिकारों के सहारे देर तक जीवित नहीं रह सकती। इसलिये मेरा यह कथन है कि प्रस्तावक महोदय इन सब बातों पर, जो मैंने उनके सामने रखी हैं, जो बातें कि हवा के अन्दर फैली हुई हैं, वातावरण के अन्दर हैं, जिनके कारण लोग हरिजन-आन्दोलन को गलत दृष्टिकोण से देखने लगते हैं —हालांकि मेरा उन पर विश्वास नहीं है, मेरी तो सद्भावना प्रस्तावक महोदय के साथ है—मैं चाहती हूं कि वे उन पर विचार करें और उनके प्रकाश में वे अपने एक खास निर्णय पर आयें।

MR. CHAIRMAN: Mr. Agnibhoj, you can speak now, but don't get excited.

SHRI R. U. AGNIBHOJ: Very well, Sir. In the very beginning, Sir, I believe that this may be my last chance to speak on this subject in this House, and therefore I pray for your indulgence to put my point of view fully before this august House, and I shall try my best to be as calm, as cool, as reasonable and as argumentative as possible.

MR. CHAIRMAN: Quite right.

SHRI R. U. AGNIBHOJ: Sir, in the very beginning, by way of personal explanation I must say that I am a hundred per cent. nationalist. From the age of 13 years I joined the struggle for independence and worked with Sardar Patel, Mahatma Gandhi and our dear Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. I courted jails seven times, and from that day, *i.e.* the 13th of April, 1924, up to this day, without even a moment's break, I am a Congressman—the Jalianwalla Bagh day.

Sir, I am a believer in human rights and dignity, and at the same time, I believe in a classless and a casteless society. I am through and through nationalist and I want that my nation should prosper, should become greater and should be consolidated and honoured so that no power in this world can ever be able to raise even a little finger against my nation and against my country. Sir, the proof of my sincerity or making the nation casteless and classless is this: When I was a Minister in Madhya Pradesh, I got, according to Mahatma Gandhi's principles and

sayings, my two nieces married to Brahmin boys in 1950 and 1952, and, Sir, it should not surprise you that in the same way I live with a Brahmin lady even today. Therefore it can be seen that I am a believer in a casteless and a classless society. But, Sir, to my great surprise, to my great disappointment and to my great regret, I find that the nation—I may do anything, but the nation—is going in the back gear, not in the forward gear. Even the greatest people of my nation and responsible people think in a wrong direction and act in a way which is prejudicial to nationalism. Rather it is an anti-national action.

Sir, I must point out that I take the Constitution to be very sacred and I bow my head before the Constitution, because it has been drafted by the greatest minds and the greatest people of my nation. The wisest people of the day, the wisest Prime Minister of the day and the wisest and responsible people of the day, provided some protection to the minorities when they drafted the Constitution. Why did they do it? Because they thought that the people were depressed, the people were oppressed, the people were suppressed and they were poor, half-fed and half-naked, and they were not educated and therefore they were helpless. So, with these good and honest intentions the Constitution-framers provided some protection for the minorities and they provided for reservation for ten years. But, Sir, the reports of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been discussed here year after year, and I can give quotations from those reports to prove that the work of the Central Government, and particularly the State Governments, is far from satisfactory. Go through all the reports and you will find that the work done in this direction by the Government is far from satisfactory. Then, Sir, when that is so, are you going to take away these reservations and protections and leave us in conditions which are far from satisfactory? Do you want to keep us in a condition which is admitted to be far from satisfactory? I don't think so. In that case what are you going to do?

Sir, I have got very great respect for motherhood, and especially in this House I have got very great regard and motherly feeling for the ladies throughout except one or two. Therefore, Sir, with my due respects and with due honour I want to contradict Shrimati Chandravati Lakhanpal. I hope she would excuse me for doing so. She is sisterly to me and she is motherly to me; she is a great lady and a great nationalist. But when she says that we Harijans are responsible for these caste distinctions, she is totally wrong. Sir, we are not responsible for this separatism. It is the Hindu society, the caste-Hindu society, and especially the Brahmin society, which is responsible for the depression, suppression and separation of the Scheduled Castes. When I go to *mandirs*, they drive me out of the temples. When I go to a well, do the Harijan people drive me away? Do the Harijan people believe in separation? It is the Brahmins and Pandits who take the *dunda* and drive me away, but you blame me and you blame the Harijans that we are responsible for this separation. No, we are not. You are responsible. If it is my fault to live with a Brahmin lady, for that you persecute me. Then, who is responsible? You or me? Sir, preaching is different from practice. So, I want to tell you that, though there is protection, still we are persecuted. When I spoke last on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Home Minister, Mr. Datar, said that I was bitter and unfriendly. It is true:

"Satyam Bruyat Priyam Bruyat
Apriyam Satyam Na Bruyat."

But it is my lot that I am required to tell the bitter truth. Truth is bitter and unfriendly. Therefore, I said that I have put on this white cap . . .

THE MINISTER OF REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS (SHRI MEHR CHAND KHANNA): Where is it?

SHRI R. U. AGNIBHOJ: I am coming to you. You are a better man. I have had this white cap for 35 years, and if it is not now on my head, it is in my house, and I do not want that there should be any black spot on it, but at the same time I may submit that a black spot on the cap is not so material as the blackness of heart which is more dangerous in this country. I feel that people are dishonest in their professions. They are not sincere, they are not true to their profession that they want to uplift the Harijans and the backward classes, Adivasis and minorities. Who are the minorities? The proposition is true that the whole country is backward and suppressed and depressed. At the same time, it is true that it is a minority who rules the country, the minority people who are wise, who are active, who are people who want to crush and suppress the other minorities. They are ruling the country. If all the minorities of this country are united, they would turn themselves into the majority and the minority rule which is there would be thrown away. This communal caucus will be thrown away. That day will come if you do not mend your house, your minds and your actions. That day would come very soon, when the minorities would throw you overboard.

I tell you why we want constitutional protection and reservation. In the Lok Sabha there are so many Harijans and Adivasis, because there is reservation, but in this House there are five or six of whom one is Agnibhoj, and he is going to be butchered, yes, butchered. If your intentions are honest, if you are really sincere, let Agnibhoj go to hell, throw him into the street, but why don't you bring 40 Harijans into this House? If you are sincere, here is a test of your sincerity and honesty. Therefore, you are dishonest in your professions—I mean the Government of India—and it has shaken my faith and I have got no confidence. I would pray to God, and our voice will not go in vain. I have got due respect to Him. You are creating anti-national feelings. You learn from Mahatma Gandhi. Mahatmaji and Thakkar Bappa have done so much for us and we are grateful to them. Thakkar Bappa was the greatest soul who served us, and you are anti-Thakkar and anti-Mahatmaji, anti-national. Therefore, I say that looking to these circumstances, I would request my friend, Shrimati Chandravati Lakhanpal, and many friends like her to revise their opinion that we are responsible for this reservation. It is you, who are responsible, it is the higher caste caucus, who do not want us to live with self-respect and dignity. Therefore, with due respect to you, I say that Mr. Rajabhoj's Resolution should be accepted. Thank you.

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय : आदरणीय सभापति महोदय, यद्यपि यह प्रस्ताव ठीक भाषा में जमा नहीं है, किन्तु मैं उसके पक्ष में हूं । मेरी राय यह है कि हरिजनों को जो दस साल का रिजर्वेशन दिया गया है, संविधान में संशोधन करके उसे बीस साल कर देना चाहिये । सभापति महोदय, मैं अपने इलाके में हरिजन कार्य बहुत समय से करता आ रहा हूं । सबसे पहले जो हरिजन कांफ्रेंस शुरू हुई थी, महात्मा गांधी जी उसके पक्ष में थे और सन् १९३२ के बाद यह काम देश में और भी तेजी के साथ किया जाने लगा । इससे पहले मैं अपने जिले में हरिजनों के सम्बन्ध में कांफ्रेंस और सभायें करता आ रहा था और उनके लिये कुछ न कुछ काम भी करता रहता था । आज जो हरिजन यहां नजर आते हैं, इस सम्बन्ध में जो थोड़ा बहुत काम होता है, वह हमारे संविधान की बुद्धिमत्ता के सबब से होता है । मैं कह सकता हूं कि नौकरियों में, लेजिस्लेचरों में, या हमारे पार्लियामेंट में हरिजनों को जो रिजर्वेशन दिया गया है,

वह अनुचित नहीं है, उससे लाभ ही हुआ है। मुमकिन है कि कुछ हरिजन नेताओं में कुछ गलतियां हों। मुमकिन है कि कहीं कहीं कुछ स्वार्थी नेता पैदा हो गये हों, लेकिन इसका मतलब यह नही है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको देकर कोई गलती की गई है। समाज में जो कमजोर होता है, उसको कुछ विशेषाधिकार दिये जाते हैं और उसको कुछ विशेष बर्ताव मिलता है। अभी हमारी बहिन श्रीमती लखनपाल ने पृथकता की भावना की शिकायत की। लेकिन यह भावना हरिजनों के सबब से नही है। यह भावना तो हमारे समाज के भीतर घुसी हुई है। यह एक ऐसी बीमारी है, जो हरिजनों में भी है और दूसरे लोगों में भी है। यह हमारे समाज में एक कमजोरी है। आज आवश्यकता यह है कि जैसे कि एक छोटे बच्चे या डेलिक्वेंट चाइल्ड को डाक्टर एक महीने की दवा देता है और फिर जब एक महीने के बाद देखता है कि बीमारी अभी ठीक नही हुई है, तो वह फिर कहता है कि एक महीने की और दवा दे दी जाये, उसी तरह यह जो दस साल का रिजर्वेशन है, इसको भी हमें भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में बीस साल के लिये कर देना चाहिये।

यह कहा गया कि जो उच्च वर्ण के लोग हैं या सवर्ण लोग हैं, उनको चुनाव लड़ने मे तकलीफ होती है और हरिजनों के लिये डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी के बजाय सिंगिल मैम्बर कांस्टीटुएंसी होनी चाहिये, क्योंकि डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में हरिजनों को चुनाव का संघटन और खर्चा कम पड़ता है और सारा भार सवर्ण मेम्बरों पर पड़ता है और उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी यह बतलाना चाहता हूं कि यह एक तरफा मामला नहीं है। यदि हरिजनों को खर्चा और संघटन का काम कम करना पड़ता है, तो हरिजनों के वोट कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को मिलते हैं। ये जो वोट मिलते हैं, ये हरिजनों की मदद करने से ही मिलते हैं। अभी हरिजन कमजोर हैं, इसलिये यदि हमने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया तो य कोई नुकसान की बात नही है। इससे सवर्ण को फायदा ही होता है। इस प्रकार हरिजनों से सवर्ण लोगों को फायदा होता है और सवर्ण लोगों से हरिजनों को फायदा होता है। तो यह जो सवाल आया था कि हरिजनों की सिंगिल मेम्बर कास्टिटुएंसी कर देनी चाहिये, हरिजनो को अलग कर दिया जाये, ज्वाइंट न रखा जाये, मेरा खयाल है कि ज्वाइंट रखना ही ठीक होगा।

इसके अतिरिक्त दस साल के बजाय बीस साल करने में एक लाभ यह भी होगा कि स्वार्थी और गलत भावना पैदा करने वाले जो हरिजनों मे नेता होंगे, वे भी दस-बीस साल में दुरुस्त हो जायेंगे। उनमें जो अच्छे हैं, वे कायम रहेंगे और जो खराब हैं उनको हरिजन स्वयं उतार करके अलग फेंक देंगे। इसीलिये मैं चाहता हूं कि स्टेट्स में और सेंटर में यह रिजर्वेशन दस साल और रहना चाहिये। पार्टियों से यह काम नहीं हो सकता है। अगर आप यह उम्मीद करे कि कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या दूसरी अन्य पार्टियां अपनी ओर से कोई न्याय हरिजनों के साथ कर सकेंगी, तो यह गलत है, बल्कि होगा यह कि मौका मिलते ही हरिजनों की सारी सीटें ये पार्टियां हड़प जायेंगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस अवधि को न बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आखिर इससे नुकसान क्या है? आप यह देखिये कि गांधी जी ने कैसे ऊंचे पाये पर हरिजनों को उठाया। उन्होंने कहा था कि हमने सदियों तक हरिजनों पर अत्याचार किया है। मैं हिन्दू धर्म-शास्त्रों के ऊंचे असूलों की निन्दा नहीं करना चाहता, लेकिन व्यवहार में जो पौराणिक धर्म हमारे देश में आ गया, जिसने जाति धर्म को स्थायी किया, उसके अनुसार हमने कई सदियों से हरिजनों पर अत्याचार किया। तो मैं यह

[श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय]

कहना चाहता हूं कि अगर हम यह अवधि दस-बीस साल के लिये और बढ़ा देते हैं, तो इसमें हमे क्यों शिकायत होनी चाहिये। मैं और अधिक भाषण न देकर इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि इसके लिये गवर्नमेंट कोई उचित तरीका सोचे, ताकि यह अवधि ऐक्सटेंड की जा सके।

SHRI H. N. KUNZRU: (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, when the Constituent Assembly passed article 334 of the Constitution it was well-understood that the disabilities from which the scheduled castes and the scheduled tribes were suffering would not be removed in 10 years. Some Members of the Assembly, therefore, moved Resolutions with the object of removing this limit of providing that Parliament should have the power to amend article 334 in the ordinary way. This amendment was not accepted by Dr. Ambedkar who was the Chairman of the Drafting Committee at that time but some observations made by him will interest hon. Members. It appears from his speech on the 25th August, 1949 that he himself was in favour of continuing the reservation of seats for the scheduled castes and the scheduled tribes for a longer period than 10 years but he pointed out that the representatives of these classes, a majority of whom belonged to the Congress Party, had themselves opposed the maintenance of this provision for a longer period than 10 years. But he made no secret of the fact that he himself thought that the period provided was not enough for the development of the scheduled castes and the scheduled tribes. He pointed out that the other classes that had enjoyed separate representation had done so for a fairly longer period before 1949. The Muslims, he pointed out, had enjoyed it practically for about 60 years and the Christians had enjoyed it for about 28 years. To suppose, therefore, that the scheduled classes and the scheduled tribes would be able to stand on their legs in a period of 10 years seemed to him to show an inadequate understanding of their position. With regard to the scheduled tribes, he said:

> "For the scheduled tribes, I am prepared to give a far longer time but all those who have spoken about the reservation to scheduled castes and scheduled tribes have been so meticulous that the thing should end by 10 years."

This makes it clear what was in the minds of even Members of the Drafting Committee when article 334 was passed. I think, most of the 12 Noon Members believed that this question would be carefully looked into before the period of ten years expired and they felt almost certain that it would be extended so as to give the communities concerned the protection that article 334 was meant to give for an adequate length of time.

We have to see whether the purpose of reservation of seats has been achieved. One has only to read the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to realise that this purpose is far from having been achieved. In the matter of the provision of funds, the Central Government has been much more liberal than the State Governments. A sum of Rs. 39 crores was provided in the First Five Year Plan and I think a sum of Rs. 91 crores has been provided in the Second Five Year Plan for the development of the backward classes. But the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shows that the State Governments, generally speaking, have not taken as much interest in this question as the Central Government has. This is another reason, Sir, why we should be prepared to accept Shri Rajabhoj's Resolution.

Anyone who has any acquaintance with the state of things prevailing in

the country will, I think, be fairly prepared to admit that if the reservation of seats is discontinued, say in 1961, the progress of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will be seriously affected thereby. The Government can say, no doubt, that they are doing what they can to give scholarships to the children of these classes for their education; that they have reserved a certain number of vacancies in the public services for members of these classes and so on. But it has to be remembered that the existence of the representatives of these communities exercises a real pressure on the Government and makes all the members of this House to realise that they owe a duty to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which should be discharged as quickly and as effectively as possible. If these reservations were taken away and their number went down as a result of it, I have no doubt that the feeling of Members of all sections of this House with regard to this question will not be the same as it is now. This is another reason why I am in favour of acceptance of Shri Rajabhoj's Resolution.

There is just one more point that I wish to refer to before resuming my seat. Consider, Sir, the provisions made in Schedules Fifth and Sixth for the administration of certain tribal areas in Assam. Can any one say that the necessity for having these Schedules will end by 1960 or 1961? I am sure that these Schedules will not be deleted from the Constitution very soon. This means that the backwardness of the tribal people will continue for a long time and that it will be necessary to treat them on a special footing. It is necessary, therefore, that their special position should be recognised in the matter of reservation of seats in the legislatures also. I may refer to one thing in this connection. Tribal Advisory Committees have been provided for in the Constitution and they are to consist to the extent of 75 per cent. of the representatives of these communities in the legislatures. It will become totally ineffective on the present basis if the reservation that is now provided in article 334 were taken away. I know that the Tribal Advisory Committees can still continue to exist. But they will not enjoy the same representative position that they do now. It is quite clear, therefore, that if we seriously mean to do the best that we can in order to improve the condition of the backward classes, including the tribal people and the members of the Scheduled Castes, it is necessary that the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should continue for a longer period of time than the ten years period and that article 334 ought to be modified accordingly. I, therefore, wholeheartedly support the Resolution moved by my hon. friend Shri Rajabhoj.

पंडित अलगू राय शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री राजभोज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अभी मेरे माननीय मित्र पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने अच्छे से अच्छे शब्दों में, मार्मिक शब्दों में, तर्कपूर्ण शब्दों में उनके प्रस्ताव का समर्थन किया है और इससे पहले श्री विजयवर्गीय ने भी उन्ही उद्गारों के साथ इस भवन के सामने कुछ बातें कही हैं।

मैं समझता हूं कि जिस परिस्थिति में यहां की संविधान-परिषद् बैठी थी, उसमें हमारे देश के जैसे विचारक और नेतागण बैठे थे उन्होंने परिस्थिति से विवश हो कर ही इस प्रश्न को स्वीकार किया था कि किसी न किसी प्रकार का संरक्षण इन पिछड़ी हुई जातियो को मिलना चाहिये। पिछड़ी हुई जातियां और ऊंची नामधारी जातियो के मनुष्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं। यदि किसी सम्मानित धनिक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के साथ बैठ कर खाने की मेरी

[पंडित अलगू राय शास्त्री]

इच्छा हो तो मुझे उस टेबिल पर जाने का अवसर नहीं मिलेगा । इसलिये नहीं कि मैं अछूत हूं बल्कि इसलिये कि मैं उस वर्ग में नहीं आता हूं । यह तो एक अलग बात है, लेकिन कल्पना कीजिये उस व्यक्ति की जो कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है, जो कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे आदमियों को अपनी दूकान पर नौकर रख सकता है--कानपुर में इन पिछड़ी और अछूत जाति के कहलाने वाले लोगों में ऐसे व्यवसायी हैं--किन्तु वह न तो किसी के हाथ में पानी दे सकता है जिसे कि वह पी सके और न तो उसको ही कोई अपने हाथ से पानी दे सकता है जिसे कि वह स्वीकार कर सके । तो कैसी दयनीय स्थिति है । ऐसा ही सामाजिक अभिशाप गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जा कर उन बस्तियों में देखा जो कि गोरों की बस्तियों से पृथक् बस्तियां थीं और उन्हें वहां लगा कि हमारे भंगियों की जो बस्ती है उसमें रहने वालों की क्या दुर्दशा है । ऋषि दयानन्द ने दूसरे ही दृष्टिकोण से इसको देखा कि एक बड़ी पुरानी परम्परा के मानने वाले कुछ लोग अपनी ही दुर्बलता के कारण, अपने ही दृष्टि-दोष के कारण, अपने अंग न रह कर कटे जा रहे, बाहर जा रहे हैं और उनको दूसरे लोग संरक्षण दे रहे हैं । इस तरह, राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से यह प्रश्न पिछले ५० वर्षों में इस देश के सामने था और उस स्थिति को देख कर ही हमें मजबूर होना पड़ा कि हम किसी न किसी प्रकार का संरक्षण इन जातियों को दें ।

रैमज़े मैकडानल्ड का कम्युनल एवार्ड चल गया होता तो पता नहीं कि ये जातियां कहां जातीं, यह देश कहां जाता, हमारा राष्ट्र कहां जाता, हमारे जातीय जीवन को कितना धक्का लगता ? उससे बचने की चेष्टा गांधी जी ने की और इस देश को बचा लिया । हम 'एज ए नेशन' तड़प रहे थे क्योंकि अंगरेज़ी शासन किसी तरह से देश के अन्दर तरह तरह के विभाग करके हुकूमत करना चाहता था । हिन्दू मुसलिम पैक्ट जो लखनऊ में हुआ था उससे पृथक् निर्वाचन प्रणाली यहां जारी हुई । स्वयं मुझे कुछ स्मरण आता है, चेम्बरलेन साहब की यह राय थी कि वह क्या एसेम्बली होगी. वह क्या विधान-सभा होगी, वह तो एक धार्मिक परिषद् होगी, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग बैठ कर विचार करेंगे, इसलिये क्यों धार्मिक दृष्टि से एक वर्गीकरण किया जाय । उससे निजात पाने की इस देश के नेताओं को चिन्ता थी । इस देश के जातीय जीवन में हर तरफ जो पृथकता की भावना काम कर रही थी उसे हटाने को हमारे राष्ट्रीय नेताओं को अभिलाषा थी जिससे एक राष्ट्रीयता, एक जातीयता और एक सुदृढ़ शासन यहां पर लाया जाय । तो इस बात की चेष्टा हो रही थी, और अगर उस चेष्टा में भी उस वर्ग को संरक्षण देने की बात धारा ३३४ के अन्तर्गत की गई तो वह परिस्थिति की विवशता थी । जातीय जीवन को बनाने के लिये यह आवश्यक था कि हम उनको स्थान दें ।

"अन्नादेः संविभागः प्रजानां यथार्हतः"

प्रजा वर्ग की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार संरक्षण और प्रोटेक्शन मिलना चाहिये । जो दुर्बल हैं, जो बच्चे हैं, जो स्त्रियां हैं, जो दुर्बल वर्ग है, उनको किसी न किसी प्रकार का संरक्षण और विशेषाधिकार दिया जाना चाहिये था, यद्यपि हमने मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लिंग-भेद से, जाति-भेद से, धर्म-भेद से किसी प्रकार की पृथकता बरतने का या विशेषाधिकार देने का विरोध किया है । जहां सामान्य नियम हमने यह माना वहां परिस्थिति से विवश हो कर इस बात की आवश्यकता हुई कि दस वर्ष तक उनको संरक्षण दिया जाय । संरक्षण विधान-सभाओं में और केन्द्रीय विधान निर्मात्री संगठनों में

और संस्थाओं में भी दिया गया, दस साल के लिये । अब इससे बड़ा संरक्षण कोई नहीं है । आप नौकरियों में से संरक्षण हटा लें, वहां पर सीधे योग्यता के आधार पर आप सर्विसेज में लोगों को लें तो इतनी हानि नहीं होगी । आप सब जगह से संरक्षण हटा सकते हैं, लेकिन अगर विधान-सभाओं से संरक्षण हट जाय तो इस वर्ग में से जो नेता पैदा हो सकते हैं वे नेता पैदा नहीं हो सकेंगे और जनसम्पर्क उनका होगा ही नहीं । इन विधान-सभाओं में जो लोग होते हैं वे जनता के सम्पर्क में हर पांच वर्ष बाद आते हैं । उस समय वे जनता के बीच जाकर बोलते हैं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं । तो इस प्रकार हमें इस वर्ग में से नेता मिलते हैं । यही नहीं कि हम उनके साथ कोई दया दिखा रहे हैं । बल्कि हम अपने ऊपर न्याय कर रहे हैं कि अपने जातीय जीवन में उन पिछड़े हुये वर्गों में से नेतृत्व पैदा करते हैं । वे जनता के सामने जाते हैं, बोलते हैं, उनको राष्ट्रीय प्रश्नों के विषय में जागरूक बनाते हैं ।

एक बात और है । हम चाहें तो हम यहां उनको नामजदगी से भी उतना ही प्रतिनिधित्व, २५ फी सदी की जगह ३० फी सदी, दे सकते हैं । लेकिन वह हानिकारक होगा क्योंकि तब सत्ताधारी दल, जो शासन चलाता होगा, अपने आदमियों को लाकर यहां बैठा देगा । जब हम चुनाव की प्रणाली में उनको डालते हैं तब लाभ यह होता है कि हर दल के लोग अपने आदमियों को खड़ा करते हैं द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र में या एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में । उस समय एक दल ने अमुक व्यक्ति 'ए' को खड़ा किया हरिजन सीट के लिये, शिड्यूल्ड कास्ट की सीट के लिये, दूसरे राजनैतिक दल ने 'बी' को खड़ा किया, तीसरे ने 'सी' को खड़ा किया और चौथे ने 'डी' को खड़ा किया । इस प्रकार एक ही वक्त में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चार नेता प्रकट हो जाते हैं । लेकिन नामिनेशन से एक ही व्यक्ति के खड़ा होने का प्रश्न होगा । इसलिये निर्वाचन प्रणाली के आधार पर इस प्रकार का संरक्षण इन जातियों के जीवन को मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही राष्ट्रीय जीवन को भी मजबूत बनाता है क्योंकि हम अच्छे आदमियों को खोज कर निकालते हैं । इस प्रकार हम धरती के नीचे पड़े हुये फूलों को धूल में से निकालते हैं और उन फूलों की माला भारत माता के गले में पहनाते हैं । इसलिये इस प्रकार की प्रणाली को अगर हम छोड़ दें तो हम उनको तबाह कर देंगे, बल्कि उनके पूरे जातीय जीवन को तबाह कर देंगे क्योंकि जातीय जीवन में जितने विचारक पैदा होंगे, जितने सुधारक, पथप्रदर्शक पैदा होंगे, जितने ही जनता के सामने आ कर नेतृत्व देने वाले पैदा होंगे, जितने ही नेता पैदा होंगे उतना ही देश का सम्मान होगा । इसलिये यह आवश्यक है कि अभी कुछ न कुछ दिन तक संरक्षण जारी रखना चाहिये ।

जब सन् १९३७ में इलेक्शन हुये थे उस जमाने में हमने देखा कि कांग्रेस के टिकट पर आने वाले लोग किस किस्म के होते थे और आज कौन लोग हैं, हम देख रहे हैं । आज जो हम देख रहे हैं वह यह है कि सत्ताधारी धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, चले आ रहे हैं । जिनके पास पैसा नहीं है, वे इलीमिनेट होते जायेंगे, वे कहीं टिकने वाले नहीं हैं, वे कभी स्वतंत्र रूप से आ नहीं सकते और कभी उनको स्थान नहीं मिल सकता क्योंकि धन उनके पास नहीं है, संघर्ष में वे पड़ नहीं सकते । जब हम इस वर्ग के लोगों को संरक्षण देते हैं तो इन्हें संघर्ष में पड़ना होगा और विवश हो कर इलेक्टोरेट के पास चुने जाने के लिये जाना ही होगा और इसमें चुनाव की प्रणाली से ही उनको आना चाहिये, नामजदगी की प्रणाली से नहीं आना चाहिये, ताकि जनसम्पर्क में इन्हें रहना पड़े । इसलिये आवश्यक

[पंडित अलगू राय शास्त्री]

है कि यह संरक्षण कुछ दिन और कायम रखा जाये. इतने दिन कायम रखा जाये जितने दिन अनिवार्य हो, अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। एक दिन अधिक नहीं और एक दिन कम नहीं। मैं समझता हूं, दस वर्ष एक परीक्षा काल था। इस दस वर्ष की अवधि में इस वर्ग से जाने वाले प्रतिनिधियों ने जो सेवा की है, जिन भावों का प्रकाशन किया है और देश के साथ जो वफ़ादारी बरती है वह इस बात के लिये उनको पात्रपत्र प्रमाणित करता है कि फिर से उनको अवसर दिया जाये। मामूली दौड़ के लिये अगर कोई कमज़ोर लड़का होता है तो उसको दस गज़ आगे दे देते हैं। हर 'वाक आफ़ लाइफ़' में कमज़ोरों को ग्रेस मार्क दिया जाता है। इस किस्म की बातें पाई जाती हैं। तो जब पृथकता की भावना बढ़ती है तब हम अलग अलग खड़े होते हैं, अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन हमें सारी स्थिति को सामने करना चाहिये—जो परिस्थिति की दुशवारी है, जो परिस्थिति की विवशता है। 'वी मस्ट फेस दी फैक्ट्स' लाला लाजपतराय जी का यह वाक्य मुझे नहीं भूलता है कि जो वस्तु-स्थिति है उसको आदर्शों और कल्पनाओं के आगे आंख मूंद कर देखना नहीं चाहिये। हमको परिस्थितियों को देख कर, उनके अनुसार ही काम करना चाहिये, उनके मुताबिक काम करना चाहिये। यह पिछड़ा हुआ वर्ग हमारे देश की एक धरोहर है। हमारे राष्ट्रीय जीवन के ये नन्हें नन्हें बच्चे अच्छा रत्न पैदा कर सकते हैं अगर हम उन्हें अवसर दें। अवसर और कैसे दिया जा सकता है? अगर उसका दूसरा तरीका हो तो बता दीजिये। अगर आप उनको टिकट भी दें और खड़ा भी कर दें तब भी दूसरे लोग स्वतंत्र रूप से खड़े हो कर उन्हें हरा देंगे। हम प्रजातंत्र की प्रणाली से इलेक्शन की पद्धति को हटाना नहीं चाहते और अगर नहीं हटाना चाहते हैं, अगर उनको इसके द्वारा लाना चाहते हैं तो नामज़दगी से नहीं, निर्वाचन प्रणाली से ही ला सकते हैं। उनको संरक्षण देना ही होगा ताकि इसमें से नेता पैदा हों। वे लोग कुछ इस तरीके से जीवन बितायें कि उनके हाथ में चार पैसे भी हों, आने वाले ज़माने में वे स्वतंत्र संघर्ष में पड़ सकें, अपने प्रतिद्वंदियों से लोहा ले सकें और अपने को 'एसर्ट' कर सकें। इसके बाद वे अपने जातीय जीवन के प्रश्नों पर विचार करें उसको उन्नत बनाने का काम करें।

यहां पर राजभोज जी ने जो प्रस्ताव रखा है—चाहे दस साल के संरक्षण को बीस साल न करें, १५ साल ही करें, या बीस साल का पच्चीस साल करें, इस प्रश्न पर गवर्नमेंट विचार कर ले जो भी वह ठीक समझे—सरकार का उत्तर क्या होगा उसको सुन कर ही हम उसको जान सकते हैं। लेकिन मैं जरूर राजभोज जी से यह अनुरोध करूंगा कि जिस तरह की सरकार आज है, हमारे इस महकमे को चलाने वाले पंत जी उसमें बैठे हैं, उसमें नेतृत्व इस प्रकार का हो जो सद्भावना से प्रेरित हो कर काम करे। सरकार की तरफ से जो बातें कही जायेंगी उनको सुन कर राजभोज जी आवश्यकतानुसार अपने प्रस्ताव में संशोधन भी कर लें। लेकिन मैं जो अपना उद्गार प्रकट करना चाहता हूं वह यह है कि यह संरक्षण समाप्त किये जाने लायक अभी नहीं है, इसको बढ़ाना आवश्यक है और अनिवार्य है।

श्री देवकीनन्दन नारायण (मुम्बई): आदरणीय सभापति जी, प्रस्तावक मित्र ने जिन भावनाओं के साथ इस प्रस्ताव को पेश किया, उन भावनाओं के साथ मेरी सहानुभूति है।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का जो ब्योरा यहां रखा गया, उसमें भी बहुत कुछ सचाई है। मेरे भाई अग्निभोज ने भी जिस दुःख के साथ बहुत सी बातें यहां कही हैं वे भी समझ में आ सकती हैं। फिर जो विशेष जोश उन्होंने दिखलाया उसका कारण भी वे छिपा नहीं सके।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : छिपाना चाहा ही नहीं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : वे छिपा नहीं सके। खैर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सैपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन आफ सीट्स का तत्वतः शुरू से ही विरोध किया है। हम लोगों ने कांस्टीटुएंट असेम्बली के वक्त इसको एक नौसरी ईवल, आपत्तिग्रस्त-जरूरी मान कर यही पसंद किया कि रिजर्वेशन की बात को दस वर्ष के लिये स्वीकार कर लेना चाहिये। इसे हमने इष्ट आपत्ति के तौर पर माना। अब हमें यह सोचना चाहिये कि इस आपत्ति को कितने दिनों तक रखना चाहिये, और कितने दिनों तक इसको चलाना आवश्यक है। आपने अखबारों में देखा होगा कि हमारे बैकवर्ड क्लासेज के जो कमिश्नर हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी हरिजनों की सेवा में लगा दी है, उन्होंने अपने विचार इस विषय में प्रकट किये हैं। मुझे अखबार से पता हुआ कि उन्होंने यह कहा कि आदिम जातियों के लिये तो यह सोचा जा सकता है कि उनके लिये रिजर्वेशन की जो मियाद है उसे बढ़ा दिया जाय, परन्तु हरिजनों के लिये ऐसा कहना मुश्किल है और इस प्रश्न को दुबारा सोचना चाहिये। तो जब एक मनोनीत अधिकारी ऐसी बात कहता है तब हमें यह सोचना चाहिये और देखना चाहिये कि देश में, आज की हालत में, कहां तक और कब तक यह रिजर्वेशन आवश्यक है और उसके बाद हमें कोई बात तय करनी चाहिये। हालांकि उन्होंने एक तरह से विरोध ही दर्शाया है, परन्तु साथ ही इस बात को कहा है, इस बात को प्रकट किया है कि हमें इस बात पर फिर से विचार करना चाहिये।

श्री पां० ना० राजभोज : विरोध तो नहीं किया है।

श्री देवकीनन्दन नारायण : रिजर्वेशन आफ सीट्स के साथ हरिजनों की असुविधाओं का या दिक्कतों का, कोई खास सीधा सम्बन्ध है, ऐसा मैं नहीं मानता। महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण के लिये गत चालीस वर्षों से जो कार्य किया, वह इतना जबर्दस्त कार्य था कि वह किसी कानून से कभी नहीं हो सकता। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमने अपने संविधान में यह स्पष्ट कर दिया कि अस्पृश्यता मानना एक गुनाह है और इसके साथ साथ हरिजनों की जो डिसएबलिटीज हैं उनको निकालने के लिये हर एक स्टेट में कानून पास किये गये। एक नहीं अनेक कानून पास किये और कानून पास करने के बाद सारे देश में उन पर बहुत कुछ अमल भी हो रहा है। यदि मैं नम्रतापूर्वक यह कहूं कि हरिजनों का सेवा कार्य जितना सवर्ण भाइयों ने, कार्यकर्ताओं ने किया है और कर रहे हैं, मुझे शक है कि उस परिमाण में हमारे हरिजन भाई भी कर रहे हैं या नहीं।

श्री किशोरी राम : यह गलत कह रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : गलत हो सकता है। पर मेरा यह विश्वास है कि आज सवर्ण भाई और उनकी संस्थायें हरिजन सेवा के लिये, उनकी दिक्कतों को कम करने के लिये जितना कार्य कर रही हैं उतना कार्य हरिजन कार्यकर्ता कर रहे हैं ऐसा म-

[श्री देवकीनन्दन नारायण]
नहीं मानता । यह मेरा विश्वास है और अनुभव है ।

डा० डब्ल्यू एस० बार्लिंगे (मुम्बई) : यह उनका काम नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैं मानता हूं, इसलिये मैं कह रहा हूं । जो बात मैं कह रहा हूं किसी मतलब से कह रहा हूं । मेरे कहने का मतलब यही है कि हरिजनों की दिक्कत कम करने, हरिजनों की असुविधा कम करने हरिजनों की अस्पृश्यता दूर करने का काम सवर्णों का है । सवर्णों के लिये यह काम करना उनका धर्म है और इस बात को हमने विधान में भी मान लिया है । चालीस वर्ष के काम से हमने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यह हमारा धर्म है, इसे हमें करना चाहिये । हमारे डा० कुंजरू साहब ने जो यह कहा कि हरिजनों को रिज़र्वेशन आफ़ सीट्स दे कर और यहां लाकर बैठाने से हम पर प्रैशर पड़ता है और हम हरिजनों के लिये काम करने लगते हैं नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । यह हमारा आज तक का अनुभव कभी नहीं रहा । मेरे कहने का मतलब यह है कि रिज़र्वेशन आफ़ सीट्स का जो सवाल है, उसको हमें स्वतंत्र दृष्टि से देखना चाहिये ।

SHRI H. N. KUNZRU: May I ask my hon. friend whether he realises what the effect of the withdrawal of reservation of seats, at least on the tribal people, will be? Can any Government seriously propose to withdraw this right, say, from the tribal people in Assam? The whole State will be in a blaze if any such unwise thing were done.

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैंने अभी तक एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि 'ट्राइबल पीपुल' को जो रिज़र्वेशन दिया हुआ है वह खत्म कर दिया जाय । I have not spoken a single word about it.

SHRI H. N. KUNZRU: Think of the effect of the withdrawal of the right that we are discussing even from the scheduled castes in the country.

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैंने अभी तक यह भी नही कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट को रिज़र्वेशन न दिया जाये । मैं तो यह कह रहा हूं कि इस सवाल को गंभीरता से सोचना चाहिये । दस वर्षों में जो कुछ काम हुआ है, जो हालत पैदा हुई है, जो पोलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है, जो सामाजिक सिचुएशन पैदा हुई है, उन तमाम बातों को सोच समझकर इस बात का फैसला करना चाहिये कि आगे दस वर्ष के लिए इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिये या नही । मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूं । आप कृपा करके गलतफ़हमी पैदा न करे । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन कारणों का यहा पर ज़िक्र किया जा रहा है, वे कारण मेरी निगाह में काफी नहीं हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज देश मे चारों तरफ़ सैपरेटिस्ट भावना बढ़ रही है । हिन्दुस्तान में हज़ारो बैकवर्ड जातियां हैं, जो उतने ही बैकवर्ड हैं, जितने कि हमारे हरिजन भाई ।

श्री किशोरी राम : क्या इस तरह की भावना अनुसूचित जातियों मे भी है ?

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैंने यह कभी नही कहा कि अनुसूचित जातियों में है कि नहीं । मैं तो यह कहता हूं कि यह भावना सारे देश में बढ़ रही है । ऐसी हजारों जातियां है जिनमें सैपरेटिस्ट भावना मौजूद है । यदि हम इस सैपरेटिस्ट भावना को बढ़ने देंगे और हरिजनों को रिज़र्वेशन आफ़ सीट्स देने के सवाल पर ठीक तरह से विचार नहीं करेंगे तो देश में जो छोटी छोटी

पिछड़ी जातियां है, बैकवर्ड जातियां है, वे भी इस मार्ग को करने में पीछे न रहेंगी। मै आप से कहता हूं कि आप मुसलमानों को ले लीजिये। एक बहुत बड़ा सवाल उनकी ओर से इस देश में पैदा होने का डर है। मै अपना अनुभव कहता हूं कि हमारे शहर की म्युनिसिपैल्टी में लोक संख्या के परिमाण में मुसलमानों को छः जगहें मिलती थी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पांच जगहे मिलती थी। लकिन जब से रिजर्वेशन का सवाल हटा लिया गया है तब से उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। मै अपने प्रांत की बात कह रहा हूं। आज आप जानते है कि किस तरह से पोलिटिकल पार्टीज का काम होता है, किस तरह से पोलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स चुने जाते है। उसका नतीजा यह हुआ है कि whole Harijan community is divided into sub-castes. उनमें जो छोटी छोटी अलग अलग जातियां हैं उन्हें हमारी पार्टीज कैपचर करने की कोशिश करती है और उसका नतीजा यह हुआ है कि the whole Harijan community is divided.

श्री किशोरी राम : यह तो वहां के कांग्रेसियों की वजह से हुआ है।

श्री देवकीनन्दन नारायण : मै तो सारी पोलिटिकल पार्टीज का ज़िक्र कर रहा हूं। आपको शायद कांग्रेस से दुश्मनी पैदा हो गई है।

यह भी यहां कहा गया है कि यह रिज़र्वेशन समाप्त हो जायगा तो शायद यहां कोई हरिजन चुन कर नही आ सकेगा। हो सकता है, मै कह नहीं सकता। मै अपने विचार भी कह दूं कि गत १९५७ के इलेक्शन में हमारे प्रांत से जनरल सीट्स पर पार्लियामेंट में हरिजन चुन कर आये हैं। (*Interruptions.*) मध्य प्रदेश से भी चुन कर आये है। तो यह कहना कि यदि रिज़र्व सीट्स न दी जाये तो जनरल सीट्स से हरिजन चुन कर आ नहीं सकते, यह बात ठीक नहीं है। लोग चुन कर आयेंगे। चुन कर आना बहुत सी बातों पर निर्भर होता है, बहुत से कारणों पर निर्भर है।

मेरे भाई अलगू राय शास्त्री जी यहां तक पहुंच गये कि जो स्कालरशिप और सर्विसेज़ का रिज़र्वेशन है वह भले ही न रहे। मैं इस मत का हूं कि जब तक बैकवर्डस हैं तब तक स्कालरशिप्स दिये जायं, सर्विसेज़ में संरक्षण दिया जाये और सारे प्रोटेक्शंस दिये जाय, परन्तु इन तमाम प्रोटेक्शंस का रिज़र्वेशन आफ सर्विसेज के साथ कोई सम्बन्ध है, ऐसा मै नहीं मानता। पार्लियामेंट और असेम्बली में रिज़र्वेशन एक अलग बात है, और जो बैकवर्ड है उनको स्कालरशिप देना और सर्विसेज़ में लेना यह अलग बात है। इसलिए यदि आप ऐसा कहेंगे कि चाहे सर्विसेज़ में प्रोटेक्शन न दिया जाय लेकिन यह रिज़र्वेशन बना रहे, तो सारे हरिजन आपको गालियां देंगे और आपके दुश्मन बन जायंगे। क्योंकि स्कालरशिप और सर्विसेज न मिलने से हज़ारों व लाखों हरिजनों का नुकसान होगा और इस रिज़र्वेशन के रहने से दस, बीस, पचास आदमियों का ही नुकसान होगा।

(*Time bell rings.*)

घंटी बज गई।

श्री उपसभापति : एक मिनट है।

श्री देवकीनन्दन नारायण : मै फिर यह कहूंगा कि कोई यह ग़लतफ़हमी न कर ले कि मै इस प्रस्ताव के खिलाफ़ हूं। मै इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं हूं। मैं उनमें से एक हूं जिसने १९१९ से हरिजनों की सेवा की है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : टक्कर बप्पा के सेवक मानते हैं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : धन्यवाद। १९२३ में मेरे शहर में जो अखिल-भारतीय

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

वर्णाश्रम परिषद् हुई थी उसके अध्यक्ष हमारे वैष्णव धर्म के आचार्य थे। सब से पहले उस परिषद् में हरिजनों को ले जाने के लिए हम लोगों को लाठिया खानी पड़ी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई यह ग़लतफहमी न कर ले कि मैं इस प्रश्न में किसी से पीछे हूं। मेरा कहना यह है कि हरिजनों की जो दिक्कते हैं उनको दूर कीजिये, उनको अपने पास लाइये, उनको जितनी सुविधायें आप दे सकते हैं दीजिए, परन्तु यह जो पोलिटिकल सवाल है इसको अलग, बहुत से पहलुओं से, आपको देखना होगा। आज देश में जो सेप्रेटिस्ट मेंटेलिटी बढ़ रही है, अलग अलग फ़िर्क़ाबन्दी बढ़ रही है, अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप बन रहे हैं, इन सबको देखते हुये कहां तक रिज़र्वेशन को आगे बढाना ठीक होगा, यह प्रथम सोचा जाय। इसके लिये एक कमेटी कायम की जाय और वह कमेटी देखे भाले और सोचे फिर इस बात का निश्चय किया जाय, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है।

SHRI N. C. SEKHAR (Kerala): Mr. Deputy Chairman, I rise to offer our full support to the Resolution moved by Mr. Rajabhoj. Our esteemed friend Dr. Kunzru has very clearly argued to justify the demand for extending the period of reservation of seats in Parliament and State Legislatures provided for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, it is a surprise to me that certain Members came forward to oppose this Resolution on several pleas, and one of such pleas is that this demand for reservation will lead to separatism. You know, Sir, I come from a State where there was a strong movement for separate reservation of seats in the local Legislature for certain communities who suffered under certain dominant communities. That was a strong movement. It was some 25 years ago. One community dominated the political field and they captured all the seats in the Legislature relegating all the other communities to the background. Then those communities jointly started a movement not only for seats in the Legislature but also for seats in the services. Then the cry arose from the members of the dominant community that here and there certain people who were there to organise a separatist movement would spell ruin to our country. But in fact that movement succeeded and they won reservation of seats, particularly reservation of seats in the Legislature. But, by and by after several years that separatist outlook had gone. They had developed socially, educationally and financially as a consequence of which that separatist outlook was not there. Now members of those communities can contest seats freely, not on the basis of reservation, but as members of any other communities. They can get easily elected to the Legislature. Now there is no cry. Why I illustrate this is to show that this demand for reservation will not have led to separatism. It is not a movement out of separatist outlook or mentality but out of legitimate demands that they should have their place in the body politic, among other communities. It is because of this view that our Constitution has provided protection to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and to serve that purpose our Government has been preparing periodically lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with a view to provide ample protection and also amenities for their social and economic development. Now the demand is there. This period prescribed according to an article of the Constitution would not be sufficient. It will not sufficiently help them to achieve the end within the prescribed period. Therefore the cry is that that period should be extended, that is, the amenities for the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes should be extended to 20 years. That demand is there and it is a strong demand. Very recently we had a conference in the Central Hall of Parliament House with States Ministers representing the welfare activities in the respective States in which the same demand was put forward, and it was a legitimate demand. That extension has to be granted by the Central Government and in view of that it is also legitimate and just to extend the period of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the local Legislatures as well as Parliament. Sir, allowing this reservation for some further period will not lead to separatism. Rather it will provide some political education to the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to work hard and depend on themselves instead of depending on the *Savarana* members.

Well, Sir, I could not exactly follow what our friend, Shri Deokinandan Narayan, said. But what I understood him to say is that the responsibility of seeing that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people are uplifted rests with the *Savarana* people. Of course, the members of the *Savarana* community have helped them for the last 37 years. I remember the day when I joined this movement in 1921 when I was 13 years old. In those days we were trying to sit along with the Harijan boys, to spin *charkhas* and to produce yarn together, because that was the first type of work which we started to bring up the Harijan boys with a view to do away with untouchability and unapproachability. Since then, of course, it was the *Savarana* Hindus who took the initiative to work among the Harijans with a view to bring them up along with the other developed communities. Now it is the duty of the Harijan friends also to take the responsibility to work among them and also to help them in taking to industrial and other constructive activities, so that their men may also come up along with the other communities. I know, it will take some generations to achieve that objective. I do not think this objective can be fulfilled within ten or fifteen years. It will take more than that no doubt. I know that some communities in our part of the country were suffering and it took them generations to become equal to the other developed communities. So, Sir, all sorts of facilities should be provided and should continue to be provided so that they may also come up to the level of other developed communities. With that end in view, it is only just and proper to extend the period of this reservation. If there is no reservation, I can vouch that no Scheduled Caste member or no Scheduled Tribe member can be returned to any local Legislature or to Parliament. I know that unless there is reservation . . .

DR. W. S. BARLINGAY: They have actually come in Parliament.

SHRI N. C. SEKHAR: That is because the people at the helm of affairs are compelled to select them as candidates.

DR. W. S. BARLINGAY: They came in spite of the Congress Party . . .

SHRI N. C. SEKHAR: Of course, that was so only where they had some influence. Anyway, I will come to that point. It may be that they worked not only for the Harijan and Scheduled Caste people, but they worked for the people as a whole in the national interest in that area. In that case, certainly the people of other communities would vote for them. I do not say that all parties are like that. Even among the political parties it is not that these Scheduled Caste people are in the leadership. They are people in whom these people have no sufficient confidence. They are there because they were selected on the basis of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. And that is why, Sir, they are insisting upon continuing this reservation

[Shri N. C. Sekhar.]

so that a sufficient number of them in proportion to their community population, could be returned to the local Legislatures as well as to Parliament. Other members are selected in certain other areas, but that is a rare phenomenon. And unless some reservation is provided, I am sure that the number of Harijan members who are now seen in the Legislatures will not be returned because it will be very difficult for them to be selected for that purpose. Because there is reservation, we are bound to find out some Harijan members or some Scheduled Caste members or some tribal men to contest for election, for example, in Assam, Orissa, Bihar and in certain other places like Santhal etc. Unless there is reservation, such tribal people cannot be returned. On the other hand, the other leaders, in the name of these tribal people and Scheduled Caste people, will go and contest and get themselves returned to the Legislatures. So, Sir, in the given situation in our country it is necessary to extend this period so that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may enjoy their legitimate right of being returned to their respective Legislatures. Sir, with that end in view, this demand is quite just and justified, and the Government and this House should see their way to accept it, unless, of course, the mover withdraws it. So, I support this Resolution.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I should like to express my very strong sympathy with the Resolution which has been moved by Mr. Rajabhoj. I think the question of extending the period deserves to be considered by us in a very sympathetic spirit. Indeed, speaking for myself, I would extend that period. Now it is vastly to the credit of our Constitution-makers, of our founding fathers, that they did not approach the task of Constitution-making in a *doctrinaire* spirit. They approach the task in a realistic spirit. They knew that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes had suffered a very great deal in the past. They knew that they needed protection, and they knew that effective protection could be secured for them by enabling them to share political power. It is not enough for you to employ a few depressed class people or Scheduled Caste people in your services. It is not enough for you to give them educational scholarships. It is further necessary that they should be made to feel that they are partners in the great undertaking of governing this country. Therefore, under article 334 it was laid down that there would be reservation for them for a period of ten years. There is nothing sacred about that period. There is nothing sacrosanct about that period, and the feeling among the Scheduled Castes is that that period should be extended. We have not only to think of the Scheduled Castes, but we have also to think of the Scheduled Tribes. We are not yet out of the woods so far as the tribal areas are concerned. With a great deal of effort on our part, and with wise statesmanship on our part, the Kohima Convention was arrived at, and that has generated a feeling among the Scheduled Tribes that we mean well by them, but they have got to be integrated emotionally with this country. Now, how are we going to emotionally integrate these tribal people, these Scheduled Caste people and these Scheduled Tribe people? We cannot do it by merely lecturing to them on national unity. Nations have never achieved unity by lectures on national unity. We need, in concrete life, to give them a feeling that we mean to do justice by them. Justice must not only be done, but must also appear to be done, and it is for that reason, I think that this problem of continuing this reservation should be viewed by us in a large-hearted and sympathetic spirit—because it is only large-heartedness which will enable us to preserve and strengthen our national unity. Any bookish approach

will not help us to solve our problems. You can consult many authorities; they no doubt say that for working democracy there must be no reservation of seats for any community, because if you have any reservation, you introduce communalism, but do not forget that here you have a joint electorate, and a joint electorate preserves national unity. The member elected will be answerable to a common electorate. Therefore, this is something which must not be forgotten by us.

Another point is this: I rather like these multi-member constituencies. You must not forget that the Scheduled Castes are economically backward; they have not the finances to run a Parliamentary election or an election to the Vidhan Sabhas in the country. If they are associated with a non-scheduled caste candidate . . .

DR. W. S. BARLINGAY: That applies even to municipal elections.

SHRI P. N. SAPRU: Yes, it applies to municipal elections even. The candidate contributes something, the political party contributes something to the election expenses, and it becomes possible for him to face the electorate. If you do away with multi-member constituencies and have single-member constituencies, then it may be financially impossible for them to approach this vast electorate. You cannot depend upon political parties to nominate the requisite number of scheduled caste candidates for election to Parliament or to the Vidhan Sabhas. To do so would be to impose an impossible burden on political parties. You know, that there are groups in political parties, that there are parties within political parties, and the question of representation which is to be given to the Scheduled Castes or Tribes will get mixed up with party politics of the parties nominating them. I think, it is therefore, undesirable from that larger point of view to deny them some reservation for some time. Well, we had hoped that ten years would prove a sufficient period, but from what I can see, that period is not sufficient, and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has suggested that that period should be extended for the Tribes. You cannot extend that period for the Tribes without extending it for the Scheduled Castes as well, for to extend that period you will have to modify or change article 334 of the Constitution, and if the Constitution is to be amended, then you must amend it so as to satisfy the demands of both the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. Whether the period should be 15 years or 20 years, I cannot say. I think that a period of twenty years is not too large. A twenty year period would mean extending the concession of reservation by another ten years. Surely in these ten years we would have been able to carry through the Second Five Year Plan, we would have been able to carry through the Third Five Year Plan, and we shall be probably in the midst of the Fourth Five Year Plan, and during that period it is almost certain that they will advance economically, they will advance educationally, and they will be able to stand on their own feet. Once a community begins to feel that it can do away with crutches, I do not think it is likely to stick to them. After a time the community itself will begin to feel that the crutches are a drag on its progress. Therefore, generate among the Scheduled Castes the feeling that their best safeguard is their ability to stand on their own legs, and help them to do so during this period of ten or twenty years, and if you are fair to them, I am certain that they will be loyal to the country, they will be attached to the country, because let us not forget that they are flesh of our flesh, bones of our bones.

Mr. Deputy Chairman, I will tell you an incident which came to my knowledge. My wife is interested in a scheduled caste institution, and she takes a good deal of interest in it, which is located in our compound.

[Shri P. N. Sapru.]

She attends invariably their annual function, and speeches were made in an annual function by some scheduled caste teachers which were of a bitter character against Brahmins. My friend, Mr. Agnibhoj, too made an attack against Brahmins.

SHRI R. U. AGNIBHOJ: Rightly or wrongly?

SHRI P. N. SAPRU: Rightly or wrongly, I cannot say. I do not think that you can ever conquer hate by hate. She came back after that meeting in a very distressed state of mind. "See what I have been doing to them so far, and yet they are so bitter." I asked her to give up that attitude. For several centuries we have been treating these classes badly. Their sub-conscious mind revolts against us, and if they say something, let us put it down to that. It is a process of catharsis, as psycho-analysts would say, in their case, and perhaps without this they will not be able to reconstruct their personalities. The point that I want to stress is that it is important, it is vital, it is in the national interests that this problem should be viewed by Government in a large-hearted spirit. Presided over as the Home Ministry is by our eminent leader, Pandit Govind Ballabh Pant—and we have his spokesman here in the person of our esteemed lady Deputy Minister, Mrs. Alva—I am certain that this problem will be viewed by the Home Ministry in a large-hearted spirit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

DR. W. S. BARLINGAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have heard with great interest the speeches on this Resolution which have been delivered in this House. I am sorry to say, though I say so with great respect, that several speakers have really missed the main point of the Resolution. This Resolution has got a very limited scope. The Resolution reads:

> "That this House is of opinion that the period of reservation of seats in Parliament and State Legislatures . . ."

We are not talking here, so far as the Resolution is concerned, of untouchability generally. Because so far as the question of untouchability is concerned, I don't suppose there is any single person in this House who has the slightest sympathy with untouchability. But the point of the Resolution is and so far as the mover is concerned, all that he wants, is that article 334 of the Constitution should be kept alive for another period of 10 years. That is to say, so far as the representation in Parliament and State Legislatures is concerned, that separate representation should continue for another period of 10 years. Then the other part is—and that also is a very important part—the mover says that this should be extended only from 10 to 20 years. He does not say that this should be extended permanently. Now, therefore, the only point and the only criterion on which we should vote in favour or against this Resolution is whether there has been any change in the circumstances which prevailed at the time article 334 of the Constitution was passed, whether those circumstances, which several leaders and great leaders too, of public opinion in those days considered and arrived at the conclusion that article 334 was the proper remedy for the situation as it then existed—whether those circumstances have changed in any manner. The question is whether that situation does or does not continue till today. If that situation does con-

tinue, then obviously there is no objection to extending the period of 10 years to 20 years. As Shri Sapru quite rightly said, there is nothing sacrosanct or sacred about the period of 10 years. The 10 years period could as well be 20 years or 30 years. Therefore, the main question that should exercise the minds of speakers here is whether those circumstances which existed at the time of the passing of the article 334 of the Constitution still exist today or they don't exist. If your case is that they don't exist, don't extend the period but if the case is that they do, that those circumstances do exist, then I suppose the hon. mover of the Resolution has certainly made out a good case for his Resolution. When you put the matter in this way, I am sure you would agree that during the last 10 years, let us say from 1946, from the time we got our Independence let us say,—and I don't really think that our society has learnt the lesson it ought to have from the fact of untouchability in our society. I have had personal experience, I have moved in the villages myself, if I may say so, I myself at some period of time, was in charge of this particular portfolio in the old Madhya Pradesh and I know what difficulties Harijans have to undergo in our society. I need not repeat all that here because I know, everyone in this House is sympathetic towards the Harijans. On the other hand, it need not be forgotten that there is a good deal in the point of view that was urged by my friend Shri Deokinandan Narayan. There is a great danger in having separate respresentation say for Muhammadans or Harijans or scheduled castes. As a matter of fact all this is quite contrary to the spirit not only of the Constitution but to the spirit of democracy itself. We don't want any reservation for anybody as a matter of fact but then, the point is, since we, or the Constitution-framers in their wisdom found it necessary to enact this particular piece of legislation, this particular article of the Constitution, the point now is whether those circumstances have changed and I submit, with all respect to the House and to yourself, that those circumstances have not materially changed.

Shri Narayan made a great point and that shows that the matter is not really as simple as it looks. After all if we give reservation not only to scheduled castes but to the scheduled tribes also, it appears to be an arguable case that all other minorities including the Muslims should get separate representation and once you give separate representation to separate communities, they get, so to speak, vested interest in the whole thing. Instead of trying to do away with these privileges which we give them, they insist on those privileges and they see to it that those privileges do not vanish from our society. As a matter of fact, the object of all these privileges is merely to make up for the handicap—social handicaps—that they have in our society but then our misfortune is that as soon as we begin to do it, as soon as we try to do away with this handicap, that becomes a sort of privilege that becomes a sort of vested interest and people begin to stick to it instead of trying to do away with it. That is a great danger to which my friend Shri Narayan pointed and in so far as he made out this point, he was quite right. But then I believe as I said in the very beginning this particular Resolution has got a very limited scope. It only says that so far as the Parliament and the State Legislatures are concerned, the period of 10 years under article 334 of the Constitution may be enhanced to 20 years and I don't see that there is any logical objection to this particular proposal made by the hon. mover.

श्री ना० र० मल्कानी (नाम-निर्देशित): उपसभापति जी, जो मैं ज्यादा करके बोलता हूं जो ज़रा जोर से बोलता हूं लेकिन अभी जरा दब करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि जो

[श्री ना० र० मल्कानी]

मैं कहूं उसमें कुछ ग़लतफ़हमी दूर न हो, शायद ग़लतफ़हमी ज्यादा हो, यह हो सकता है । लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो मेरे मन में है वह रखूं चाहे ग़लतफ़हमी बढ़े या कम हो । मैं चाहता हूं कि मैं अपने खयाल से लोगों को वाकिफ करूं कि मेरा खयाल क्या है । मेरे मन में आता है कि मैं इसका विरोध तो कभी कर नहीं सकता । मेरा मन नहीं है कि मैं विरोध करूं । लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मैं समर्थन करता हूं तो मैं खुद ज़रा रुक जाता हूं और यह सोचता हूं कि क्या समझ कर समर्थन करता हूं । इसका समर्थन करके किसी को खुश तो नहीं कर रहा हूं । मैं यह भी नहीं चाहता हूं ।

यह जो हमारे भाई हैं, जिनको हरिजन कहा जाता है, उनके लिए यह रेज़ोल्यूशन चैलेंज है, चुनौती है । मैं यह भी नहीं कहता कि यह चुनौती हरिजनों को है, या सो-काल्ड कास्ट-हिन्दुओं को है । यह चुनौती हिन्दू सोसाइटी को है । मुझे यह सुन कर दुख होता है कि तुमने यह नहीं किया, तुम यह करो । यह खयाल करना कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम यह करो, मेरे खयाल में यह गलत चीज़ है । पहली बात यह है कि मैं सोचूं कि मैं क्यों नहीं इसका समर्थन कर सकता । मुझ को लगता है कि जो यह मांग करते हैं उसमें कुछ वजूद है, कुछ हस्ती है, कुछ चीज है । हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, हमने अपने फ़र्ज की अदायगी नहीं की । मैं कह सकता हूं कि नहीं की है । लेकिन मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम इस फ़र्ज़ से अब कुछ कांशस हो गये हैं । समझते हैं कि यह हमारा फ़र्ज़ है । पहले हम यह फ़र्ज़ नहीं समझते थे बल्कि अधिकार समझते थे । अब तो हम समझते हैं कि यह हमारा फर्ज़ है, हमारा धर्म है, हमारे समाज का फर्ज़ है, हमारे समाज का धर्म है, और अव्वल फर्ज़ है और अव्वल धर्म है कि इस चीज़ को मिटायें, इस चीज़ को हटायें । मैंने यह माना कि हमने और समाज ने अपने धर्म की अदायगी नहीं की है । यह सवाल किया जाता है कि मैं भी सवर्ण हूं, मैंने क्या किया ? मैंने किया, लेकिन मैंने मिटाने की पूरी कोशिश नहीं की ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि देखिये बापू जी ने, गांधी जी ने, यह काम शुरू किया । उनके पास १०, १२ या १३ लाख रुपये थे । यही मुझको याद आता है । वह १५, २० साल चला । लेकिन उस १५, २० साल के अन्दर जो काम हुआ, अभी स्वराज्य के बाद उसका एक हिस्सा भी काम नहीं हुआ है । उनके पास कानून नहीं था । उनके पास रुपया भी ज्यादा नहीं था, सरकार करीब करीब खिलाफ़ ही थी, विरोध ही करती थी, समाज भी कुछ ठंडा था, तो भी जो उन्होंने काम किया, बुनियादी काम किया, हमने नहीं किया । आज नकली काम हो रहा है । मैं मानता हूं कि नकली काम है । क्या आज जो काम कर रहे हैं उनके पास रुपया नहीं है, कानून नहीं है ? मैं यह कहना चाहता हूं और अपने को समझाना चाहता हूं कि हमारे पास कानून है काफ़ी, हमारे पास रुपयों का दरिया बहता है काफ़ी, हमारे पास आर्गेनाइज़ेशन भी है काफ़ी, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ता है । तो मैं यह अपने से पूछता हूं, समाज से पूछता हूं कि आज रुपया भी है, कानून भी है, सरकार की नीति भी है तो यह काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है । मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस सरकार की नीति जिस कदर अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में है, किसी और चीज़ के सम्बन्ध में नहीं है । प्रोहिबिशन का ही काम ले लीजिये । प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में अगर कोई नीति है, कोई पालिसी है, तो वह फ़र्म पालिसी नहीं है, अगर कोई प्रोग्राम है तो कमज़ोर प्रोग्राम

है। बेसिक एजुकेशन की भी यही हालत है। मेरा इन दोनों में बहुत विश्वास है, लेकिन अस्पृश्यता के बारे में मैं कह सकता हूं कि सरकार से कुछ मांग करने में मुझे शर्म आती है। काफ़ी रुपया मिला है, कानून काफ़ी पास हुये हैं, समर्थन काफ़ी हुआ है और हर तरह से समर्थन हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, हमारे भाई ने क्या किया। मैं तो समझता हूं कि मैंने अपने फर्ज़ की अदायगी नहीं की। मुझको शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है, मैं कोशिश करता रहता हूं लेकिन काम नहीं हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाईयों को कुछ गलतफ़हमी है, कुछ जोश है भी। मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या चाहते है। आप अपना मन साफ़ कीजिये कि आप क्या चाहते हैं। आप यह चाहते है कि अस्पृश्यता का निवारण हो, लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि अस्पृश्य रहें। That untouchables should remain यह आप चाहते हैं। मैं मानता हूं कि यह भी आप नही चाहते है। अगर यह मांग होती है तो इसका नतीजा यह होता है कि अस्पृश्यता को मिटाओ, जल्दी मिटाओ, लेकिन अस्पृश्यों की जगह होनी चाहिये, मोटी जगह होनी चाहिये, ताकतवर जगह होनी चाहिये। ये दोनों बातें हो नहीं सकतीं। अगर मेरे भाई चाहे कि रुपया ज्यादा मिले तो मिलेगा। ९० करोड़ क्यो २०० करोड़ मिल जायगा। और मिलना चाहिये। मैं लड़ूंगा कि रुपया मिले और अगर कहीं कानून में कोई कमी बेशी हो तो कहूगा कि ठीक कर दो, दुरस्त कर दो। लेकिन रुपया कौन खर्च करेगा? तुम और हम। कानून का इस्तेमाल कौन करेगा? तुम और हम। आप भी अपने से पूछें कि जो रुपया हमारे हाथ में आया है उसका उपयोग ठीक तरह से किया गया है या नही? जो कानून है उस पर अमल पूरी तरह से किया गया है या नहीं? हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, सबकी गलती है। यह कहना कि तुम्हारी गलती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम समझें कि हम दोनों की गलती है, हम सबकी गलती है। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं अपने बारे में कुछ कुछ समझता हूं और मैं कुछ कुछ इसकी कोशिश करता हूं कि अपने धर्म का पालन करूं। मैं यह भी मानता हूं कि जिनको हरिजन भाई कहा जाता है वे अब अपने अधिकारों को जानते हैं, काफी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। १०, १५, २० सालों के अन्दर काफ़ी जागृति हुई है। वे अब मांग करते हैं और बहुत जोरों से मांग करते हैं। लेकिन मुझको यह मजबूरन कहना पड़ता है कि अभी वे यह नहीं महसूस करते हैं कि हमारा भी कुछ फर्ज़ है, हमारा भी कुछ धर्म है। इतिहास मेरा पढा हुआ है और मैं यह मानता हूं कि किसी भी कौम को, किसी भी कम्युनिटी को, वह अधिकार मिलता है जिसके वह लायक होती है। अगर लायक होती है तो अधिकार मिलता है, अगर लायक नही होती है तो अधिकार छिन जायेगा है। अधिकार रुक नहीं सकता, उसके हाथों से निकल जायगा। चाहे औरतें ले लो, चाहे बच्चे ले लो, चाहे स्लेव्ज़ ले लो, जब तक उनमें ताकत नही आयेगी, शक्ति नही आयेगी, जब तक वे कुर्बानी नहीं करेंगे, तब तक उनके हाथ में कोई अधिकार नही आने वाला है।

मैं यह चाहता हूं कि कानून हो। मैं भी कोशिश करूंगा कि कानून की ताकत लेकर अस्पृश्यता का हम निवारण करें। लेकिन आप भाइयों से भी मैं यह कहूगा कि आप भी कुछ करें। आप में से बहुत से वकील है। क्यों नहीं आप हरिजनों को फ्री लीगल ऐडवाइस देते है? मैं इससे भी बढ़कर कहता हूं कि अस्पृश्यता की जो एक दीवार है, वह एक बेबुनियादी दीवार है। अस्पृश्यता की बुनियाद बहुत कच्ची है। गांधी जी ने उस बनि-

[श्री ना० र० मल्कानी]

याद को हिला दिया। जिसे महात्मा बुद्ध ने नहीं हिलाया, उसे उन्होंने हिला दिया। यह मैं मानता हूं कि गलती मेरी है। मुझे इसके लिये कोशिश करनी चाहिये, लेकिन आप भी कुछ करें। असल में आपको ज्यादा ज़ोर लगाना चाहिये क्योंकि मुसीबत ज्यादा करके आपको है। अगर आप यह कहें कि मल्कानी करे, तो मल्कानी करता है और करता रहेगा, लेकिन हमको आपकी मदद चाहिये, बल्कि ज्यादा जाहिये क्योंकि you are greater sufferers. यह मुसीबत आप पर ज्यादा है, आपकी सफरिंग ज्यादा है। तो आप आज कल ज्यादातर सैंसिटिव भी हो गये हैं। मै चाहता हूं कि आप रेज़िस्टैंस करें। दिल्ली को ही ले लीजिये, यहां काफ़ी कैफ़े और रेस्ट्रां हैं। आप हमें ले चलें, कल हो चलेंगे, मिल कर जत्था बांध कर हम ५० आदमी उन पर चढ़ाई करेंगे, कैफ़े और रेस्ट्रां में जायेंगे। देवकीनन्दन भाई को आगे बढ़ायेंगे और मै मानता हूं कि मै भी आगे बढ़ूगा और हम सब रेज़िस्टेंस करेंगे। तो मैं यह मानता हूं कि आप रेज़िस्टेंस करें, जब तक रेज़िस्टेंस नहीं होगा तब तक कुछ नही होगा। अगर रेज़िस्टेंस नहीं होगा और रिज़र्वेशन होगा तो काम नहीं चलेगा। तो आपका शब्द 'रेज़िस्टेंस' होना चाहिये, जैसे कि 'सिविल रेज़िस्टेंस' शब्द है। लेकिन मै देखता हूं कि यहां 'रिज़र्वेशन'—शब्द कहा जाता है। उससे काम आगे नही बढ़ेगा। अभी एक साहब ने कहा कि उससे तो कुछ काम बिगड़ेगा और वह बिगड़ गये लेकिन मैं मानता हूं कि उससे हरिजन भाइयों को ज्यादा नुक्सान होता है।

श्री पां० ना० राजभोज : आप तो हरिजन सेवक संघ के मेम्बर है ?

श्री ना० र० मल्कानी : माफ़ कीजियेगा, हो सकता है कि मेरी गल्ती हो लेकिन मुझको यह डर है कि समाज को तो इस से धक्का पहुंचेगा ही, लेकिन कहीं हरिजन भाइयों को भी इस से धक्का न पहुंचे और व भी कहीं फंस न जायें। जब एलक्शन की कोशिश होती है तो हम खुद ही उस में फंस जाते है। आज सुबह लाबी में एक भाई का दिमाग़ बहुत गर्म हो गया। अगर मै उनकी जगह होता तो शायद मैं भी गर्म हो गया होता। यों ही मैं गर्म हूं और बुढ़ापे की वजह से गर्म हो जाता हूं। तो यह 'गर्म दिमाग' से काम होने वाला नहीं है। "गर्म दिल' से होने वाला है। 'गर्म दिल' के माने यह हैं कि अन्याय के खिलाफ़ लड़ना।

श्री रामेश्वर अग्निभंज : वह तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, बर्फ़ हो गया है।

श्री ना० र० मल्कानी : लाबी में तो हम एक दूसरे को गोद में ले लेते हैं लेकिन जब यहां रिज़र्वेशन का सवाल आता है तो बकवास चलती है और चैलेंज चलता है। इसलिये अच्छा है कि यह सवाल न आये, फिर भी, हां, मै कहता हूं कि जब यह आपकी मांग है और इस पर वोट लिये जायेंगे तो इसके लिये मैं अपना हाथ ज़रूर उठाऊंगा और अगर हो सका तो दो हाथ भी उठाऊंगा लेकिन फिर भी लाबी में जा कर यही कहूंगा कि यह बात ठीक नहीं है, इस पर इतना ज़ोर न दो और रेजिस्टेंस पर जोर दो। इस पर ज़ोर न दे कर हम सब मिल कर 'रेज़िस्टेंस' करें। गांधी जी हर वक्त तो हैं नहीं और बिनोबा जी हर वक्त आते नहीं है, आ नहीं सकते हैं, इसलिये हमारे ही संगठन से काम होने वाला है। यह 'हरिजन' और 'नान-हरिजन' का खयाल बुरा है और इस खयाल की वजह से हरिजनों पर ही ज्यादा मुसीबत आयेगी। They are sufferers and we are inflictors. इसलिये उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। आप रिज़र्वेशन की माग करे, कानून की मांग करें,

रुपये की मांग करें तो वह भी पूरी करनी होगी, आप रिज़र्वेशन कहेंगे तो रिज़र्वेशन होगा, जो कहेंगे वह होगा लेकिन मेरा ख्याल है कि इस से काम बनने वाला नही है। हम सब को चाहिये कि मिल कर रेज़िस्ट करें और अस्पृश्यता को ही नही बल्कि अस्पृश्यतायों को भी निकाल दें।

SHRI R. P. TAMTA (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, this is a very important matter which concerns not only about eight crores of scheduled castes and scheduled tribes but the whole country because, on a decision of the question which is before the House would largely depend the future progress of our country. Let us see, Sir, the Resolution as it stands. It seeks to amend article 334 of the Constitution which provides that reservation with respect to the scheduled castes and the scheduled tribes would terminate after a period of ten years from the commencement of the Constitution. By this Resolution, my hon. friend, Mr. Rajabhoj, wants that the period of reservation should be extended to twenty years instead of ten years. Before dealing with the question of reservation as a whole, I would request the House to take into consideration the factors and the circumstances which led the framers of the Constitution to embody in the Constitution a provision with respect to the reservation for the scheduled castes and the scheduled tribes and also the reason why they have fixed a period of ten years only. When we go and look at it, we find that the Advisory Committee on minorities, in its meeting of the 8th August, 1947, had decided that the reservation for the minorities as a whole, including the scheduled castes and the scheduled tribes, should be for a period of ten years and further there was a provision that thereafter the whole question would be reconsidered. Later on, in its meeting of May, 1949, it was decided that the reservation with respect to the scheduled castes and the scheduled tribes would remain and that the reservation with respect to the other communities, that is the Muslims, Christians and Sikhs should go, but the Committee did not say anything as to what would happen with respect to this reservation after the expiry of ten years, as was the decision of the 1947 meeting.

As I had submitted earlier, to understand this question, we have to look into the question of reservation. Personally I feel that there are two conflicting opinions prevalent among the scheduled castes with respect to this question. There is a section of the community which feels that this spoon-feeding, that is the reservation, which in a way has demoralised the community and has retarded its progress and has made it dependent on the sweet-will and mercy of others, should go because, only then would the community be able to stand on its own feet and will be able to fight for its rights and progress rapidly. Sir, this is one aspect, and there is the other aspect of the question. There are certain persons who hear that in case there is no reservation the members of the scheduled castes and the scheduled tribes will not be able to fight and contest elections and come out successful in the contest against people of other castes. This fear is also borne out by the facts as we see. In the present composition of the various upper houses, the Legislative Councils in the States, and the Rajya Sabha here, we find in these bodies that the representation of the scheduled castes and the scheduled tribes is hardly 1 per cent. or even less than that, and in the Rajya Sabha, it is hardly 3 per cent. while in the Lok Sabha and the State Assemblies, due to the reservation of seats for the scheduled castes their representation is about 15·5 or 15·4 per cent. When we look at the facts we fear that, if there is no reservation, the members of the scheduled castes may not be returned to the Legislatures in proportion to their numerical strength. Why it is so and how it can be remedied are questions which we have to take into consideration. As a matter of fact, democracy and reservation do

[Shri R. P. Tamta.]

not go side by side. Democracy presupposes equality, and when there is adult franchise, the idea of reservation looks rather odd. But, in our country, the actual condition of the people inhabiting here, the social disabilities and the various atrocities which the Harijans had to suffer on account of various factors in the past and which had led them to lag far behind in the march of men, had to be taken into account, and the framers of the Constitution thought, and I think rightly thought, that if there was no reservation for these communities in the Legislatures, members of these communities would not be returned to these august bodies and will not be able to place before the Assemblies and the Lok Sabha the grievances and the disabilities and the problems connected with the scheduled castes and the scheduled tribes. This departure was, therefore, made; an exception was made in the case of these communities, and a provision was embodied in the Constitution giving them reservation. If you were to compare the conditions prevalent at the time the Constitution was framed and the conditions prevailing at present, you will find that there has been some difference in the economic, social and educational condition of these classes. Even then they are very backward and they will not be able to compete on equal terms with the persons belonging to other castes. Thus the object with which this reservation was granted by the Constitution makers is still there. So, I think it is necessary that some means should be devised to see that the members of these communities get a fair representation in the various Legislatures.

3 P.M.

As the time is short, I will not go through the various reports of the Commissioner for Scheduled Castes, which go to show that although untouchability stands abolished under article 17 of the Constitution, it is still observed in some form or other, more particularly in rural areas. The persistence of caste distinction and caste prejudices constitutes a challenge to our nation. It is, however, gratifying to note that the discrimination based on caste prejudices, though deep-rooted, is gradually weakening its hold on the progressive elements in our society. Again, as far as forced labour is concerned, the Report says, "it is true that this practice is not found generally except in rare cases and in some of the interior areas, but it is still prevalent in one form or other." So, the various disabilities, the consideration of which had led the framers to make provision with respect to reservation of the scheduled castes, are still there. Therefore, something I think has to be done.

As I have submitted earlier, there has been some change and change for the better. It is not that if the members of the scheduled castes contest elections they will not be able to come out successful. It is not so. There have been instances when the scheduled caste people fought elections and they were successful in general seats. I know the case of my own district, Almora, which is regarded as an orthodox district. There I know personally of the case of a relation of mine Sri Hari Prasad Ji Tamta who fought a direct election for the chairmanship of the municipal board and he got the highest number of votes of the caste Hindus. He was chairman of the municipal board. He was elected by the caste Hindus. He remained there for seven or eight years. So, it is the capability of a man, it is his work, his service, that is taken into consideration by the people at the time when they elect him to the various posts. As I have said, mine has been an orthodox district as it is called. There too if a scheduled caste man has some service to his credit then he is able to compete with others and there have been instances when the scheduled caste people had been returned from the general constituencies, in the Vidhan Sabhas and the Lok Sabha also.

As far as the question of reservation is concerned, my submission would be that even if the reservation is termi-

nated, as is provided in the Constitution, there can be another way out. There can be a *via media*. Let the reservation be terminated, but there should be some amendment of the Constitution with respect to articles 331 and 333. These articles say that in case the representation of the Anglo-Indians is not in adequate number in the Legislatures, the President and the Governor will have the power to nominate them in the Legislatures. Similarly, if you want to give up the reservation, and decide that the period of reservation should not extend, then the Constitution should be amended suitably. We might say that the reservation would go and the members of the scheduled castes and scheduled tribes should contest in general election. And if they are not returned in sufficiently, large numbers in the various Legislatures, there should be a provision in the Constitution saying that the President or the Governor, as the case may be, might nominate members from that community in the Lok Sabha or the Vidhan Sabhas. This can be the one way to ensure fair representation. This will be my suggestion because I feel that as long as the reservation would remain, the scheduled castes and scheduled tribes might not be able to progress rapidly and stand on their own feet.

As far as the reservation in the Services is concerned and the special facilities for them in the educational field is concerned, I think it is imperative that reservation in the Services should stand and the special facilities for them for their educational advancement should be there. I would suggest that a period of ten years might be provided. During these ten years, the power to nominate members of the scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha be given to the President. And during that period there should be (*Time bell rings.*) free education for the scheduled castes and scheduled tribes in all stages and there should be reservation in the services and the Government should see that these provisions for reservation in the services and for their educational development and economic development are fully implemented, so that after, say, ten years, when that provision goes away the scheduled castes and scheduled tribes might be able to come into level with the rest of the people of the country. Our democracy can only be successful when all people, of different castes and communities are equal in all respects and get equal opportunities for development and all that.

Finally, I would say that for the successful progress of our democracy, the greatest obstacle that comes in the way is the caste system and unless the caste system goes away the distinction between high and low, between the upper caste and lower caste would remain. I know there are social reformers like Santramji and others who have established '*Jatpat Todak Mandal*' and sponsored intercaste marriage and all that. Government should also see to that aspect of the question and should do everything possible, so that after some years there will be no occasion for the scheduled castes and scheduled tribes to come forward and ask for further extension.

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह प्रस्ताव जो हमारे सामने है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मेरा यह खयाल जरूर है कि यह प्रस्ताव बजाय इसके कि हमारे एक हरिजन भाई, हमारे इस सदन के सदस्य, पेश करते किसी सवर्ण की तरफ़ से यदि आता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि उन्होंने अभी कुछ जल्दी की, क्योंकि हममें से बहुत से लोग इस बारे में विचार करते थे कि हरिजनों और आदिवासियों के लिये रिज़र्वेशन की अवधि और बढ़ाई जानी चाहिये।

अभी बहस में कुछ इस प्रकार की बात सामने आई है कि हमें उन हालात पर गौर करना चाहिये जिन हालात में हमने कांस्टीट्यूशन में दस साल का समय रखा था। यह बिल्कुल सही बात है। मेरा तो यह

[श्री राम सहाय]

निश्चित मत है कि हम इस मामले में जहां के तहां ही है। यदि कही थोडी बहुत उन्नति हुई है तो यह इस बात के लिये काफी नहीं है कि हम यह समझें कि अब इस रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं रही है। इसका टेस्ट मै यह समझता हूं कि हम इस बात को देखें कि हमने दूसरे पहलुओं पर हरिजनों के साथ क्या किया, तब हम यह समझ सकते है कि दरअसल हमने उनको सुयोग्य बनाने में कोई कोशिश की या नही।

जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमे आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जो पहले क्लास के मुलाज़िम है, उनकी तादाद हज़ारों में है और मै समझता हूं जहां उनमें से पांच पांच सौ, पौने पांच सौ या चार सौ तक आदमी एक एक डिपार्टमेंट में होंगे, वहां भी हरिजनों की सख्या एक या दो या तीन से अधिक कही भी नही है, और अगर केन्द्र के सभी फर्स्ट क्लास मुलाजमान से उनकी कुल सख्या का मुकाबला करके हम देखें तो गज़ेटेड फर्स्ट क्लास पोस्ट्स में केवल बीस या इक्कीस आदमी मालूम देते है, और वह भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को मिला कर। जहा हजारो की तादाद में हमारे मुलाज़िम है वहां इन लोगों की संख्या इतनी थोडी है।

जब देश में इस तरह की परिस्थिति है तो हमें यह बात खयाल करनी चाहिये और सोचनी चाहिये कि इस समय जो परिस्थिति है उसमे सतोष मानना बिल्कुल बेमानी सी बात है। मै आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस वक्त सर्विसेज की बात छोड़ दीजिये। आप राज्य सभा को देखिये, विधान परिषदों को देखिये, आप किसी भी लाइन पर चले जाइये आप इस बात को पायेंगे कि उनका उस चीज में जितना परसेंटेज मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल रहा है। देश की जनसंख्या ३६ करोड के करीब है। उसमें से ८ करोड़ के करीब इनकी संख्या है, इस हिसाब से परसेंटेज हमारे इन भाइयों को मिलना चाहिये था मगर मिलता नहीं है। स्कूलों में इन लोगों को जो सुविधायें मिली हुई है उनका भी वे लोग अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते है। इसका कारण यह है कि गांवों में जो हमारे हरिजन भाई है उनके बच्चों को चरवाही और दूसरा घरेलू काम करना पड़ता है जिसकी वजह से वे पढ़ने को स्कूलों में नहीं जा सकते है। हम शायद यह खयाल करते है कि इन लोगों को पढ़ने का शौक नही है जो मेरे खयाल मे मुनासिब नही है। मैं आप से कहता हूं कि आप फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास सर्विसेज वालों की बात को छोड़ दीजिये, चौथे क्लास सर्विसेज में इन लोगो को जो परसेंटेज मिला हुआ है क्या वे उसका पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी देखता हूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो अफ़सरान साहब है वे इस तरह के नौकरों को दफ्तर में नौकर रखते है जो ब्राह्मण हों ताकि उनका भोजन बना सकें या घर का कोई काम कर सकें। वे हरिजन भाइयों में से दफतर में किसी को चपरासी या दूसरी जगहो में इसी कारण से नही रखते है। इसका नतीजा यह होता है कि चौथी श्रेणी में जहां इन लोगों को आसानी से जगह मिल सकती थी वहां भी उनको नही मिल पाती है। हमारे देश में इस तरह की परिस्थिति हो रही है और हम इस अभिशाप के लिये रोते चले आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे है यह बात हम नहीं देख रहे है। हमें जिस तरह का सहयोग अपने हरिजन भाइयों को देना चाहिये था उस तरह का सहयोग हम नहीं दे पा रहे है। मेरा यह निवेदन है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हम हरिजनों के लिए

कुछ कर रहे हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ करते है अपने लिये करते है। अगर हम इस चीज को पोलिटिकली देखें, धार्मिक ख़याल से देखें चाहे किसी पहलू से देखें यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनको जितनी जल्दी हो ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठायें उतना ही वह हमारे देश के लिए अच्छा होगा।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने हरिजन-कार्य को आरंभ ही से राजनीतिक दृष्टि से नहीं उठाया एक धार्मिक दृष्टि से उठाया और स्वामी दयानन्द जी ने जिस तरह से इस कार्य के लिए आदेश दिया उसी तरह से मैं ५० वर्ष से ऊपर हो गये है, यह कार्य करता आ रहा हूं। मैंने अपने देश के लोगों की मैन्टेलिटी को यथोचित बदलते नहीं देखा और फिर भी हम शिकायत करते हैं कि हरिजनों में आपस में कई वर्ग हैं, जातियां हैं और पार्टियां हैं। लेकिन हम अपने आप खुद को नहीं देखते हैं कि हम कितनी पार्टियों में बंटे हुए हैं। मेरा मत है कि हरिजन फिर भी सवर्णों के बजाय संगठित हैं और आदिवासियों में भी यही हालत है। हम लोगों का उन लोगों के प्रति इस तरह की बात सोचना मुनासिब नहीं है।

हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ इस तरह की बातें कहीं जाती हैं कि इस रिजर्वेशन से उनकी सपरेटिस्ट टेन्डेंसी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? मैं समझता हूं इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है जो अपने आपको विद्वान कहते हैं। शास्त्री कहते हैं, साधन सम्पन्न कहते हैं और पढा लिखा कहते है। जब हम अपने में से यह दोष नहीं हटा पा रहे हैं तो हरिजनों से इस तरह की अपेक्षा करना हमारी कुछ योग्यता की निशानी नहीं है। जिस काम को हम स्वयं नहीं कर पा रहे इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाये हैं तब हरिजनों से इस तरह की आशा करना कि थोडे समय के अन्दर वे अपने को बदल लेंगे, मुनासिब मालूम नहीं पड़ता है।

यह कहा जाता है कि हमारे हरिजन भाइयों में काबलियत नहीं है। इस संबंध में मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं जिस स्थान का रहने वाला हूं उसे भिलसा-विदिश कहते हैं। वहां का एक हरिजन लड़का मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त है। इसी तरह से एक नाई का लड़का हमारे यहां से भोपाल मेडिकल कालेज में डाक्टरी पढ़ने के लिए गया हुआ है। उसे अपनी काबलियत के लिहाज से गवर्नमेंट स्कालरशिप भी मिलता है। उस कालेज में वकीलों के, डाक्टरों के और दूसरी जाति के लड़के पढ़ते हैं मगर वह उन सबमें पहला आता है। तो आप गौर कीजिये कि कोई किसी खास जाति के लिहाज से ऊंचा नहीं हो सकता है बल्कि जिसको जितना ऊंचा उठने का मौका मिलता है उतना वह आगे बढ़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम कहते तो यह हैं कि हरिजनों को हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिये लेकिन होता यह है कि उनको पर्याप्त मात्रा में उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता है। जिस तरह के विचार सदियों से हमारे दिमागों में थे वही आजकल भी चले आ रहे हैं। हमारे जिले भिलसा में सिरोंज एक जगह है जहां पर एक कुण्ड है। आज से दो वर्ष पहले वहां पर किसी हरिजन को नहाने या पीने के लिये पानी नहीं भरने देते थे। यहां तक नौबत आई कि झगड़ा हो गया और दो हरिजन मारे गये। मगर आज वह परिस्थिति नहीं है। अब वहां पर हरिजनों को नहाने और

[श्री राम सहाय]

पीने के लिए पानी भरने दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में आज भी इस तरह की परिस्थिति मौजूद है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से इस तरह की बुराइयां हमारे देश से दूर हो सकती हैं। केवल हरिजनों को दोष देना मुनासिब नहीं है।

मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव में जो दस वर्ष का समय बढ़ाने को कहा गया है वह अधिक नहीं है। मैं अपने साथियों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि इस अवधि यानी चार साल जो बाकी हैं और आगे दस साल जो बढ़ें हम इन चौदह सालों में इस समस्या को हल कर सकें तो भी हमें अपने आपको भाग्यशाली समझना चाहिये। दस साल तो आप इस प्रस्ताव के कारण बढ़ाना चाहते हैं और चार साल अभी बाकी पड़े हैं। मुझे इसमें संदेह मालूम होता है कि हम इस अवधि में इस कार्य को पूरा कर सकेंगे या नहीं। मैं होम डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगा कि उसे इस सिचुएशन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि क्या वजह है हमारे आफ़िसर हरिजनों, मेहतरों और चमारों को चपरासी, फ़राश आदि दूसरी छोटी नौकरियों में क्यों नही रखते हैं। इन जगहों के लिये किसी तरह की काबलियत की जरूरत नहीं होती है तो फिर क्या वजह है इन लोगों को वहां पर नहीं रखा जाता है और उनका कोटा उनका परसेंटेज जो उस जगह के लिए मुकर्रर है पूरा नही किया जाता। मेरा निवेदन यह है कि जो परसेंटेज उनके लिए मुकर्रर है वह उनको पूरा मिलना चाहिये। अगर फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास में इन लोगों को परसेंटेज के मुताबिक नहीं रखा जा सकता है तो कम से कम चौथी श्रेणी में तो उनका परसेंटेज पूरा होना चाहिये। जो नीची जगहें हैं उनमें कम से कम उनका कोटा ५० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। अगर हमने यह बात कर दी तो मुझे आशा है हम उन लोगों की बहुत सहायता कर सकेंगे। वैसे यह भी कहा जाता है कि उन लोगों के करने के लिये दूसरे धन्धे भी हैं मगर वे सबके लिए एकसां हैं जब तक सरकार इस ओर अग्रसर होती दिखाई नहीं देती है जनता से भी ऐसे कार्यों में समर्थन नही मिलता है और न हीं वह साथ देती है। इस लिए मेरा यह निवेदन है कि होम मिनिस्ट्री इस बारे में हर डिपार्टमेंट के लिए खास तौर पर इंस्ट्रक्शन भेज दें कि जो नीची जगहें हैं उन में इन गरीबों को ही लिया जाय। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुर रज्जाक खान (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, जो प्रस्ताव आनरेबिल राजभोज साहब हाउस के सामने लाये हैं वह पोलिटिकली बहुत ही अहम है। हम इस बात को सोच ही रहे थे लेकिन उन्होंने इसको सदन के सामने लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैंने यह अर्ज किया कि यह बात सियासी तौर पर बात अहम है। प्रस्ताव के जो माने हैं, जो मक्सद है, जो उसमें कहा गया है, वह भी यही है कि सियासी रिप्रिजेंटेशन यानी पोलिटिकल रिप्रिजेंटेशन जो चल रहा है, जो रिजर्वेशन स वक्त है, वह कायम रहे, उसकी मियाद आगे बढ़ा दी जाय, दस साल से बीस साल कर दिये जायं। लेकिन अगर यह टाइम कुछ कम भी हो, तीन इलेक्शंस के बजाय दो ही

इलेक्शंस के लिए रख दिया जाय, तब भी मेरे खयाल में प्रस्तावक को यह नामंजूर नहीं होगा।

बहरहाल, सवाल यह है कि कांस्टिट्यूशन में जो इस वक्त दस साल का रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय। कांस्टिट्यूशन का मकसद जहां तक मैं समझता हूं वह यही है कि उन्होंने पहले यह मान लिया है कि रिजर्वेशन रखना चाहिये, उसके बाद उन्होंने दस साल का कम से कम पीरियड रखा। उनका मकसद यह था कि रिजर्वेशन हमेशा के लिए न रहे, इसको एक न एक दिन हटा देना है। इसलिए कम से कम वक्त रक्खा गया। उसके बाद क्या सूरत होगी यह आइन्दा के लिए लोगों पर छोड़ दिया गया है कि लोग गौर करेंगे, अगर जरूरत समझेंगे तो इसको बढ़ायेंगे, अगर जरूरत नहीं समझेंगे तो खत्म कर देंगे। चुनांचे इसमें कांस्टिट्यूशनल बार कोई नहीं है। अब गौर करना यह है कि दस साल खत्म हो रहे हैं, इसलिए इसको हम आगे दस साल के लिए बढ़ायें या न बढ़ायें। तो इसका हमें रिव्यू करना है, यह देखना है कि इसकी वर्किंग कैसी हुई। जो मकसद है कौमी इत्तिहाद का वह इसमें आगे बढ़ा या नहीं, यह जो मेजर (measure) लगाया गया, इसमें यह मामला कुछ आगे बढ़ा या नहीं, इसमें कुछ फायदा हुआ या नहीं, हरिजनों को आप अपनी तरफ कुछ खींच सके या नहीं, इनसे मेल जोल का कुछ रिश्ता बना या नहीं। मैं देखता हूं कि आज हजारों लाखों की तादाद में हरिजनों में से कैडर बन गये हैं जो एक पुल का काम करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पूरा काम हो गया है। मैं यह भी नहीं कहता कि कुछ भी नहीं आ है और आज वही हालत है जो दस साल पहले थी। मैं यह कहता हूं कि आज सूरत पहले से बहुत बेहतर है। आज इलेक्शंस के नतीजे देखिये। आज सब पार्टियों का हरिजनों पर दारोमदार है। आज शैड्यूल्ड कास्ट के लोग दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे कौमी इत्तिहाद में बहुत मदद मिल रही है। इसलिए इस रिजर्वेशन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाना जरूरी है। आज लाखों की तादाद में जो कैडर कम्यूनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पी० एस० पी० वगैरह में हैं वह हरिजनों में आये हुये हैं और पोलिटिकल मैदान में काम कर रहे हैं। आप उनसे पूछिये कि इस सिलसिले में उनकी क्या राय है। जब वह आपके साथी हैं, आपकी पार्टी के अन्दर हैं, आपकी पार्टी के रुकन हैं, तो उनसे पूछिये कि उनकी क्या राय है। अगर वे यह राय दें कि यह सूरत दस या १५ साल और रहनी चाहिये, तो आप ऐसा कर दीजिये। जब हरिजनों से आपको बहुत काम लेना है तो उनकी राय के मुताबिक काम कीजिये। आज हरिजनों को हरिजनों से उठाया जा रहा है और यह जो सूरत बनी हुई है इसको इतनी जल्दी खत्म करने की कोई वजह नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी और इस सिलसिले को काट देने से तरक्की का रास्ता रुक जायगा।

ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता और न ज्यादा कहने की जरूरत है क्योंकि बहुत से आनरेबिल मेम्बरों ने इस पर काफी रोशनी डाली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस रिजर्वेशन को अभी कुछ दिन और कायम रखा जाय। अगर फैसला दूसरे किस्म का आ तो उससे बहुत नुक्सान होगा। मैंने यह देखा है कि जो कौमी मैदान में काम किये हुये लोग नहीं हैं, जो कम्युनल हैं, ऐसे लोग हरिजनों के अन्दर इलेक्शन में कामियाब नहीं हो सकते। जिन हरिजन भाइयों के जरिये यह काम हो रहा है, वे आज लाखों की

[श्री अब्दुर रज्जाक खान]

तादाद में पोलिटिकल मैदान में है, पोलिटिकल पार्टियों में है। इसलिए अगर उनकी राय यही है कि मौजूदा रिजर्वेशन की सूरत कायम रहे, तो आपको उनकी राय के मुताबिक काम करना चाहिये। जब उनकी यह राय हो कि अब जरूरत नहीं है, अब फिजा ऐसी हो गई है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तभी आपको इसे उठाना चाहिये।

बहुत से हमारे आनरेबिल दोस्तों ने यह कहा है कि रिजर्वेशन रखने से कौमी इत्तिहाद टूटता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह खयाल सही नहीं है। इन दस सालों की तवारीख गवाही देती है, हमें यह बताती है कि इससे कौमी इत्तिहाद बढ़ा है, घटा नहीं है। हमें एक फार्मूला, एक डागमा नहीं क्रिएट करना चाहिये। यहां ज्वाइंट इलेक्ट्रेट की बुनियाद पर यह रिजर्वेशन रखा गया है। इससे वह नतीजा नहीं निकलता जो सेप्रेट इलेक्ट्रेट से निकलता है। यह समझने की बात है। मैं समझता हूं कि आज काफी लोग यह कहेंगे कि इससे बहतर नतीजा निकला है और इससे हरिजनों को अपनी तरफ खींचने की एक सूरत बनी है। मैं समझता हूं कि आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हरिजनों को सियासी तौर पर आगे बढ़ाया जाय। यह नहीं होना चाहिये कि हम उनकी कुछ सेवा कर दें लेकिन पोलिटिकली उनको गिरा कर रखें। उनको आगे बढ़ाने का कोई तरीका है तो यही है कि पोलिटिकल पार्टीज में उनको ज्यादा से ज्यादा लिया जाय। इसलिए इस सूरत को इतनी जल्दी खत्म करने की कोई वजह नहीं है।

मैं और न कह कर इस प्रस्ताव का बहुत जोरों के साथ समर्थन करता हूं।

SHRI MAHESH SARAN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thought that our great leader of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe would bring in a resolution whic would, in a way, be affecting all th backward people. He has brought thi Resolution for the sake of a few wh are Members of Parliament and wh are Members of the Assemblies. H has not touched the main question a to how far these ten years hav improved the condition of the Sche duled Castes and the Scheduled Tribes I thought probably he would bring i some sort of a comprehensive reso lution. Sir, what would be his repl to the electorate when they ask hin whether he did anything to get reser vation for them? The only reply h can give is "Yes, I had brought resolution for myself and for a fev others."

Then, Sir, another question tha arises is how far this reservation i essential. Has it brought unity? Ha it brought solidarity? Has it create friendship, or has it created a divi sion? This matter is of a very ver serious nature. One has to conside it very carefully and see if the ain with which we had started has bee fulfilled by these reservations. I an neither opposed nor am I in favou of this Resolution, but I do wish tha the whole matter has to be gon through, carefully studied and then decision arrived at. We find in th Constitution in article 339 it is said

> "The President may at any tim and shall, at the expiration of te years from the commencement o this Constitution by order appoint Commission to report on the admin istration of the Scheduled Area and the welfare of the Schedule Tribes in the States . . ."

So that a Commission has to b appointed. Now, this matter may als be referred to that Commission because the present Assemblies an the Parliament will continue till 1962 There is no feverish hurry. Th matter is not closed as yet. We hav to carefully consider these things. T my mind it appears that the time ha come when a clear distinction has t be made between the backward peopl

and others. The backward people are not the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but the backward people are the poor people of India and we should try and see that their development also is taken in hand side by side with the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have been strongly feeling about it as I have moved about in villages and have seen the conditions of the poor people. They are now a class by themselves, whether they be Hindus, Muslims or Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Even Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, if they are officials, have respect shown to them but poor Brahmins, poor Khatris or poor Scheduled Castes have no attention paid to them. Therefore, my submission is that we have also to see whether we should not in future, make plans by which the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the other poor people are looked after properly.

There is another point which is worthy of serious consideration, and it is whether within the Scheduled Castes themselves we are not having small groups of different castes, and attention has to be paid to this, so that this feeling of difference among themselves may disappear. We should try to have a united India consisting of the Scheduled Castes and all the other castes working together. Therefore, my submission is that, instead of deciding this question now, a Commission should be appointed to go into the whole question and see whether it is advisable to have this period extended after the expiration of ten years.

श्री कै० बि० लाल (बिहार) : उपसभापति महोदय, मुझे भी कुछ वैसी ही संकट की अवस्था मालूम होती है जैसी कि प्रोफेसर मलकानी साहब ने अपना भाषण देने में अपने लिये कही थी। मेरे जो विचार हैं उनको मैं इस सदन के सामने पहले भी रख चुका हूं कि इन बातों में मैं सहमत नहीं रहता हूं कि छुआछूत या अछूतपन को उठाने के बदले अछूतों का संगठन किया जाय। मेरे मित्र राजभोज जी जानते हैं कि मैंने अपने पहले के भाषण में कहा था कि मेरा ख्याल है कि छुआछूत और अछूतों को एक दम खत्म कर देना चाहिये। यह एक बड़ी दुखद बात मालूम होती है। कहीं इसका मिसइंटरप्रिटेशन कोई करे तो ऐसा मालूम होगा कि यह अछूतों को खत्म करना चाहते हैं। बात तो कुछ ऐसी ही है और कोई यह नहीं चाहता है कि अछूत देश में बने रहें लेकिन इस मंशा से अछूत बनें कि हम अपना मतलब साधें उनके अस्तित्व से, उनके रहने से हमारा मतलब सधे तो यह बड़े अफसोस की बात होगी। हम सब एक ही राय में मस्त हो जायें, इस बात में फेनेटिक हो जायें कि अछूतपन को उठाना है और कोई अछूत देश में नहीं रखना है तो इस बारे में मेरा ख्याल भी वैसा ही फेनेटिक है जैसा कि स्वर्गीय अम्बेदकर साहब का था। वह अछूतपन से ऊब कर के और समाज की अवस्था को देख कर के यह कहने लगे कि किसी भी हालत में अछूतपन नहीं रहना चाहिये और वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसीलिये वह इस समाज को छोड़ कर दूसरे समाज की शरण लेना भी पसन्द करते थे। मैं भी उनके साथ हूं। मेरे कई और भी मित्र थे जो कि अछूत नहीं थे—ऐसा कहा करते थे कि साहब अछूत अगर मैं होता तो मैं एक रोज भी इस समाज के अन्दर नहीं रह सकता था, मैं तो क्रिश्चियन हो जाता। तो मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। हम तो उनको सराहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतनी मुसीबत में रह कर भी वे सनातनी समाज में हैं। मैंने सनातनी शब्द का व्यवहार जानबूझ कर किया है। अम्बेदकर साहब यह गलती करते थे जबकि वह कहते थे कि हम हिन्दू ही नहीं रहेंगे, हम मुसलमान हो जायेंगे। मुसलमान होने में भी तो आदमी हिन्दू बना रह सकता है क्रिश्चियन होने में भी हिन्दू रह सकता है इसलिये हम उनसे कहते थे कि आप यह कहिये कि हम सनातनी समाज में नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि चाहे जिस तरीके से हो यह अछूतपन यहां से उठे और कोई अछूत हमारे

[श्री कै० बि० लाल]

मुल्क में नहीं रहे लेकिन समस्या इतनी कठिन है कि गवर्नमेंट के लिये भी कोई इसका सुलझाव नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने अपने संविधान में भी इस तरह की बात लिखी है कि जिसकी बुनियाद पर आज इस तरह का प्रस्ताव भी आया है लेकिन अपनी सरकार से मेरा सुझाव यह है कि इन बातों में वातावरण को एटमसफीयर को खराब नहीं करना चाहिये। इसको इस तरह से बहस और दलील में लाकर के देश के अन्दर इस बात का प्रचार करना है कि हम जुदागाना अस्तित्व के मानने वाले हैं हम में जुदागाना अस्तित्व की बहुत सी मिसाल है, बहुत सी बुनियाद है और इसके ऊपर हम इस तरह से लड़ भिड़ सकते हैं। आज इस सदन के अन्दर भी जो वातावरण पैदा हुआ और जिस तरह के गर्मागर्म व्याख्यान हुए वह दिल को बहुत दुःख पहुंचाने वाली बात थी। कुछ भाइयों ने इस तरह की तू तू और मैं मैं की बात की। अब इसके लिये दोष किसे दिया जाय? बुराई तो अपने अन्दर है और सरकार भी ऐसी नीति का अवलम्बन किये हुए है कि यह बुराई मौजूद रहे और यह विभिन्नता फैलती रहे।

अब यहां एक बहुत बड़े उसूल की बात आ जाती है कि यह डेमोक्रेसी में तय हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह बड़ी दुखद बात है। हम लोग सब डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं और बहुत सी बातों में कम्युनिज्म से या और दल वालों से हमारा मतभेद है क्योंकि वे जबरदस्ती काम कराना चाहते हैं। लेकिन इस छुआछूत से, जाति पात से और समाज की दशा को देख कर उससे, मेरा जी तो इतना ऊबता है कि मेरा ख्याल यह होता है कि कोई ऐसा उसूल हो जाय जो कि डेमोक्रेसी के नाम पर इस वातावरण को खराब नहीं होने दे और जबरदस्ती लोगों से इस पाप को छुड़वाये। यह ऐसा पाप है, ऐसा कोढ़ है समाज का कि जो डेमोक्रेसी के नाम पर भी, एक क्षण नहीं रहने दिया जाना चाहिये और इस तरह के वातावरण को भ्रष्ट नहीं करने देना चाहिये। लेकिन क्या? हम तो डेमोक्रेसी से सम्बन्धित हो गए हैं और डेमोक्रेसी के नाम पर इसमें भी दलीलें करते हैं क्योंकि हर एक आदमी को बहस करने का मौका है, हर एक आदमी को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है स्वतन्त्रता है। लेकिन इस तरह की राय जाहिर करना जिससे अछूतपन को परवरिश मिलती है यह डेमोक्रेसी के सिद्धांत के खिलाफ़ है। जब मैं इन बातों पर सोचने लगता हूं तो मेरे दिमाग में चक्कर आता है कि कौनसा इलाज हो जबर्दस्त जो कि इस पाप को, इस कोढ़ को दूर कर दे। इसमें हम ज़रा भी कंप्रोमाइज नहीं चाहते हैं, इसमें हम जरा भी मुंह पुछोव्वल नहीं चाहते हैं, कोई तमाशा नहीं चाहते हैं। यह जो डेमोक्रेसी के नाम पर मुंह पीछा आता है, बुराई की परवरिश की जाती है उसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह का कोढ़ हमारे समाज में रहे। जैसा कि हमारे टामटा साहब ने कहा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि इसमें हमारा दोष है। मैं उनकी इस बात को मानता हूं कि जातपांत ही इसकी बुनियाद है। कैसे जातपांत उठे? अभी भी हम छोटी छोटी बातों में जातपांत को इस तरह जगह देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी ख्याल नहीं देती है। अभी तक ऐसे फार्म्स बने हुए हैं, जहां हर बात में जात जरूर लिखवाते हैं। अभी तक होश नहीं हुआ कि हम जातीयता को लिखना कानूनन हटा दें और फार्मों वगैरह में उनका लिखा जाना बन्द कर दें। कहीं मुकद्दमा होता है, नौकरी की बात होती है, स्कूल या कालिज में भर्ती का सवाल होता है तो जाति लिखो। स्वराज्य हो गया, राज्य करने के लिए हम बैठे हैं, अंगरेज़ों को कहते थे तुम हमको लड़ाते हो, हममें भेद पैदा करते हो, लेकिन आज हमारे हाथ में ताकत आ गई है तो वही काम कर रहे हैं जो अंगरेज़ करते थे, उसी लीक पर

चलते हैं और उसी जाति के नाम पर नौकरी देते हैं। यह एक शर्म की बात हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कैसी शर्मिन्दगी की बात है कि हमारी जो हरिजन वेलफेयर के नाम से संस्था है वह किस प्रकार जाति के नाम से कार्य करती है। हमारा जो अनाथालय है—यह सही बात है कि उसमें ज्यादातर लोग गिरी हुई जाति के हैं, ज्यादातर अछूत हैं, हरिजन हैं—तो हरिजन वेलफेयर वाले वहां गए, उन्होंने वहां की हालत को देखा और उनका हृदय द्रवित हुआ और चाहा कि हमें कुछ मदद करें। तो वह मदद करने के लिए उन्होंने शर्त करनी चाही कि आप अगर लिख दें कि ये हरिजन है तो हम आपको मदद दे देंगे। हमने कहा कि हमने हरिजन को खत्म कर दिया, हम हरिजन के नाम पर मदद नहीं कराना चाहते है। अब आप बताइए, अब हम अपनी संस्था के बच्चों को हरिजन कहलवायें तो हमें मदद मिले। हम अपनी संस्था के बच्चों के दिमागों में इस ख्याला की परवरिश करें कि वे हरिजन हैं। आप सोचें कि हम किस तरह हरिजनों को बनाते हैं। हमारी संस्था में हरिजन बच्चे ज़रूर हैं लेकिन आप जाकर देखिये वे कैसे गीता का पाठ करते हैं, कैसे संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आप नही समझ पायेंगे कि कौन ब्राह्मण है या किसी और जात का। लेकिन आप रुपया देने के लिये हरिजन ज़रूर बनाना चाहेंगे। अगर आप समझते है कि यह सरकारी नीति है, यह पालिसी है और इस तरह की पालिसी पर आप आंख बन्द करके चलते हैं तो परमात्मा ही रक्षा करे। समझ में नहीं आता हम किस भूलभुलैयां में हैं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : परमात्मा भी रक्षा नहीं करेगा।

श्री कै० बि० लाल : हां परमात्मा भी रक्षा नहीं करेगा यह बात सही है। क्या हमने हरिजनों के लिये बहुत काम किया है, क्या कानून बनाकर अनटचेबिलिटी को उठाया है और हरिजनों को नौकरी में फैसिलिटी दी है? उनको पढ़ाने में, स्कूल और कालिजों में फैसिलिटी दी है? उनको और जगहों में रिप्रेज़ेन्टेशन दिया है? हां, है लेजिसलेचर में आने में और बहुत सी बातों में हमने उनको सहूलियतें दी हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये सहूलियतें देकर हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। असली बात जो है वह है अछूतपन को खत्म करने की। जिस समय छुआछात हमारे देश के लिए एक समस्या बन गई थी तब गांधी जी ने "हरिजन" शब्द की बनावट इस जाति के लोगों के लिये की थी। कुछ लोग यह समझने लगे थे कि अरे, यह भी एक नयी जाति पदा हो गई है। लेकिन अब हम इस 'हरिजन' शब्द को कब तक रखना चाहते हैं? मैं बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपकी पालिसी में कब तक यह चीज़ है उनको हरिजन रखना। यह पहले बताइये। यह रिप्रेजेंटेशन तो खर दस साल, बीस साल, ज़ाहिर है होना ही चाहिये लकिन इस प्रस्ताव के ज़रिये से नहीं। यह तो आपकी अक्लमन्दी से होना चाहिये था। पहले आप सहूलियत से राज भोज साहब को बुला लेते। लेकिन आपको बाद में अक्ल होगी, बाद को वही बात होने वाली है। राज भोज साहब तो बहुत आनरेबली अपने प्रस्ताव को विदड्रा कर लेंगे। अच्छा होता कि गवर्नमेंट की नीति में अगर यह बात रहती कि ऐसी बातें सामने न आयें जिनसे देश का वातावरण बिगड़ने पावे। डेमोक्रेटिक तरीके पर आप उनको बुलाकर और चाहे एक एडवाइज़री कमेटी क़ायम करके आप तय करते कि साहब इस चीज़ को हमें करना है। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर इस सदन के अन्दर छीछालेदर होती है। इस सदन के अन्दर इस तरह की बाते हों, हरिजनों को कायम रखने की बात की जाय, अछूतपन को सींचने की, परवरिश करने की बात हो, यह बहुत दुःखदायी चीज़ लगती है: इसमें कंप्रोमाइज़ करने से परवरिश करने से वही चीज़ पैदा होगी जो चीज़ कि जिन्ना साहब ने पदा की थी। जिन्ना साहब भी बहुत बड़े नेशनलिस्ट हुए हैं।

श्री पां० ना० राजभोज : वे अपने को से रेट नेशन का मानते थे ।

श्री कै० बि० लाल : घबड़ाइये नहीं वही चीज़ हम भी देखने लगेंगे अगर यही मनोवृत्ति रही तो । अभी तो वह वृक्ष है, उसका फल हम आगे चल कर देखेंगे । ऐसा लोगों के मुंह से हमने सुना है कि हरिजन-स्थान होना चाहिये हम दूसरी कौम हो जाना चाहते हैं, हमारे लखनऊ के वे मित्र अभी तक लोक-सभा में मौजूद हैं, कुरील साहब । उन्होंने इसी बात को पुरानी एसेम्बली में कहा था । अब वे सही रास्ते पर आ गए । उनकी हमारी दोस्ती है और किसी मुखालिफ़त की वजह से मैं यह नहीं कह रहा हूं (*Time bell rings.*) अम्बेडकर साहब कहते थे यह ट्विस्ट आफ़ माइंड है । उस मनोवृत्ति में यह चीज़ पैदा होती है । जिन्ना साहब बड़े नेशनलिस्ट थे उनके विचारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं । वे अपना माथा ठोंक कर कहते थे 'इन हिन्दुओं को कभी अक्ल नही आयेगी ।' मेरे पास समय नही हैं, नहीं तो मैं आपको बतलाता कि क्यों सचमुच में जिन्ना साहब अपना कपाल ठोंकते थे कि हिन्दुओं को अक्ल कब आयेगी । हम यह बात भले ही कहें कि हम सेपरेटिस्ट टडेंसी पर नहीं चलते हैं लेकिन रास्ता वही है जिस रास्ते पर आप कदम रखते हैं यह वही रास्ता है जिससे आप शिड्यूल्ड कास्ट को बनाते हैं । लेकिन इसका मतलब यह नही कि मैं हरिजनों का विरोध करता हूं कि उनको जगहें नहीं मिलनी चाहियें । मैं मानता हूं कि उनको काफी जगहे मिलनी चाहियें । जो जगहें अभी तक उनको मिलती रही है उनको सुरक्षित रखने के वास्ते आपको रास्ता निकालना चाहिये और वह रास्ता आपको सुभीते से निकालना चाहिये न कि वातावरण को बिगाड़ कर ।

मैं इस संकट में हूं कि मै समर्थन करूं तो किसका करूं । प्रस्ताव का करूं या इसके भाग का ? प्रस्ताव के भाग का तो समर्थन करता हूं लेकिन प्रस्ताव का समर्थन नही करना चाहता जैसा कि मलकानी साहब ने कहा है ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GOVIND BALLABH PANT): Sir, this is a simple Resolution. Its purpose has been fully stated by the mover. The Resolution asks for the extension of the period provided for reservation of seats for scheduled castes in the legislatures under article 334 by 10 years. The Constitution at present does not admit of any such reservation after the expiry of 10 years. That period of 10 years will expire in 1960; however, it is laid down that they will not be expected to be withdrawn at the end of this period of 10 years but this system will continue till the dissolution of the House. That means, that they will have the benefit of reservation till 1962 but thereafter if the Constitution remains unamended in its present form, then there will be no reservation for scheduled castes or scheduled tribes. Shri Rajabhoj has confined his Resolution to Scheduled Castes only.

SHRI P. N. RAJABHOJ: No, the Scheduled Tribes also are there, in the amended Resolution.

SHRI GOVIND BALLABH PANT: You have amended it? Well, I am glad; otherwise it would be difficult to discriminate against Scheduled Tribes. That is, however, a minor point.

I imagine, that hon. Members of this House are familiar with the history of this problem. I do not want to go back to the pre-independence period, to the epic fast of Mahatma Gandhi, or to other matters. I recognise, however, that the Scheduled Castes are today not in a position to stand on their own legs and to occupy such a position as would enable them to hold their own against other sections of the community. When the Constitution was framed, a Minority Committee was appointed, which was presided over by Sardar Patel. At one stage it was decided that the minorities should have seats reserved for them in accordance with their population,

that is to say, the seats for every minority should bear the same proportion to the strength of a legislative body as their population bore to the total population of the country. The principle of separate electorate was condemned by all unanimously, yet, reservation for all minorities was accepted. Later on, the minorities themselves felt that it would not be in their interest to have any such special treatment and they agreed to rub shoulders with others and to have no reservation for themselves. Muslims, Christians and Sikhs alike, all of them agreed to seek elections and not to have any sort of protection for themselves in any shape or form. It was, however, realised that the Scheduled Castes stood in a different category, that, though they too formed a minority, they formed perhaps the weakest section in our community. Similarly the Scheduled Tribes also held a very weak position. Accordingly reservation for a period of ten years was provided. The Bill relating to the Constitution was then being piloted by Dr. Ambedkar. Amendments of various types were moved, but no change in the proposal that was initiated by the Government was accepted, and that 'proposal' is now embodied in the Constitution. I understand that Mr. Rajabhoj has succeeded in securing the sympathy of many Members of this House to his Resolution. I am not surprised, for he is one of the Members who espouses the cause of the Scheduled Castes with his unrivalled earnestness, and he gets a ready response. So far as I am concerned, I had occasion to make a statement in the Lok Sabha in this regard just two days ago. I stated a minute ago that the present arrangement will continue till 1962. The question at present is not important or urgent. We will give earnest consideration to the proposal made by Shri Rajabhoj, and as I submitted just now, I personally feel that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes still continue to be very weak links in our national chain. So I would like them to gain fresh strength and we would like to do all that we reasonably can to enable them to stand on their own legs and to be able to join others on terms of equality, social, political and economic. So the matter will be given very earnest thought, but there is no urgency about it. A decision will be taken before 1962 and if it is intended to extend the period, then a Bill will have to be introduced in Parliament for amending the existing article of the Constitution. In any case, we will approach Parliament for the expression of its opinion on this subject before the expiry of the period now available for reservation, and we will be guided by the views of Parliament. We will in the meantime give thought to it, and we hope to be able to place the considered opinion or proposals of Government before Parliament.

In view of what I have said, I trust the mover will be pleased to withdraw his Resolution.

4 P.M.

श्री पां० ना० राजभोज : उपसभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने रखा है इसका पंत जी ने, पंडित कुंजरू जी ने, अलगूराय शास्त्री जी ने, अग्निभोज जी ने, टामटा जी ने और दूसरे बहुत से प्रमुख सदस्यों ने समर्थन किया, इससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के भाई राम सहाय जी ने इसका बहुत अच्छी तरह से समर्थन किया है।

इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखने का मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं कोई सेप्रेट एंटिटी चाहता हूं। एक वक्त ऐसा था कि जब मेरा ऐसा ख्याल था, लेकिन जब हमारे देश का सिर ऊंचा हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम हमेशा हरिजन न बने रहें। यह सोचना कि बुरी तरह रहने में हमको सन्तोष होगा, यह गलत बात है। कई लोगों का यह ख्याल है कि हम जातियां बढ़ा रहे हैं, यह भी गलत बात है। जब गांधी जी से डा० अम्बेदकर ने यह कहा था कि हम सेप्रेट इलेक्ट्रेट चाहते हैं तो मैंने उनका विरोध किया था। मैंने यर्वदा पेक्ट में गांधी जी की हर प्रकार से मदद की थी। मैंने इस बात के

[श्री पा० ना० राजभोज]

लिए आन्दोलन किया था और यह कहा था कि हम हिन्दुओं से अलग नही रहेंगे बल्कि हम हिन्दुओं के साथ रह कर सब प्रकार की तरक्की करेंगे। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह राजनीति थी कि हम हिन्दुओं से अलग हो जायें, लेकिन उनकी राजनीति सफल नहीं हुई। उसी समय से मैं दलित-वर्गीय भाइयों की सेवा कर रहा । मैं तीस वर्ष से यह कार्य कर रहा हूं और सब तरह के आन्दोलनों में भाग लिया है और त्यागपूर्वक कार्य किया है। मैं यह चाहता हूं कि यह कार्य हृदय परिवर्तन से और मत-परिवर्तन से होना चाहिये। एक ऐसा भी समय था जब मैंने अनेक बार सत्याग्रह किया था और गाली वगैरह दी थी लेकिन उसके लिए मुझे दुःख है। अब मै यह चाहता हूं कि यदि यह सवाल शान्ति से और ेम से हल हो जाये तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा चमार, महार, घड़े आदि बने रहें और हमारी बस्ती अलग रहे। पन्त जी की अध्यक्षता में एक एडवाइज़री कमेटी बैठी थी और उसमें मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि हरिजनों के होस्टल अलग नही होने चाहियें। हरिजनों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग नहीं होनी चाहियें। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था और कुछ सम्पर्क का काम भी हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज भी पुराने ख्याल के लोग सब जगह है हममें भी हैं और हिन्दू समाज में भी हैं। हमारे श्री कैलाश बिहारी साहब को ही ले लीजिये। वे कभी विरोध करते है और कभी बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी तरह से हम में भी ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से कभी कभी हमें बड़ा दुःख होता है।

बहुत से लोगों ने कहा कि इस जातपांत के प्रश्न ने बहुत नुकसान किया है। हमारे देश में हज़ारों जातियां है लेकिन जब ऊपर की जातियां नष्ट हो जायेंगी तो नीचे की जातियां अपने आप खत्म हो जायेंगी। श्री महेश सरन जी ने कहा कि यह ठीक नही है। मैंने भी एक भारत दलित सेवक संघ की तरफ से कमला नेहरू गर्ल्स होस्टल सिद्धार्थ खोला है और उसमें ब्राह्मण, मरहटा और सब जाति के लोगों को रखा है। शुरू शुरू में जब मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया उसी वक्त मैंने यह निश्चय किया कि जाति जाति के अलग रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक यह प्राब्लम है, यह सवाल है, बड़ी शान्ति से यह काम करने की आवश्यकता है। इसीलिये मैंने अपने सिद्धार्थ और कमला नेहरू होस्टिल में दूसरी जाति के विद्यार्थियों को रखा। पहले मैं भी सांप्रदायिक मनोवृत्ति का था, जिन्ना टाइप था। यह सब लोग जानते हैं कि मेरे क्या विचार थे। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि जो मैं कह रहा उसमे क्या होगा, जो मैं गाली गूली दे रहा हूं उससे क्या होगा। यह बात ज़रूर है कि मैं स्वाभिमान रखना चाहता हूं। हमारे प्रोफेसर मल्कानी साहब ने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हम यह मांगें, हम वह मांगें।

श्री ना० र० मल्कानी : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि और मांगो।

श्री पां० ना० राजभोज : बहुत अच्छी बात है। हम भी इस ढंग से मांगना नहीं चाहते हैं। यह हम भी जानते है कि हम गुलाम नहीं हैं। डाक्टर अम्बेडकर के सम्बन्ध में गांधी जी ने यह कहा था कि अम्बेदकर साहब अगर गाली देते है तो जो हमने पाप किया है उसी का बदला मिल रहा है। यह कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप इस भावना से काम करेंगे तभी देश का सिर ऊंचा होगा। बहुत से लोग यह कहत है कि महार, चमार या दूसरे हरिजन

धर्म बदल लेंगे तो अस्पृश्यता खत्म हो जायगी। बहुत से चमार मुसलमान बन गये, बहुत से महार मुसलमान बन गये, बहुत से बौद्ध बन गये बहुत से ईसाई बन गये और बन रहे हैं लेकिन इससे क्या उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार हुआ ? जहां तक मेरा विचार है उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में कोई सुधार नही हुआ है । धर्म आध्यात्मिक उन्नति का साधन है आर्थिक उन्नति का नही ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं हर जगह जाता हूं और यह देखता हूं कि हमारी काम करने की जो मशीनरी है वह ठीक तरह से काम नही कर रही है । हमारी सरकारी मशीनरी का जो काम करने का ढंग है वह बहुत गलत है । हमारे भाई राम सहाय जी ने यह कहा कि चपरासी चामार क्यों नही रखे जाते हैं ? यदि ऐसा किया जाय तो इससे जात-पांत का मामला खत्म होगा । आज होता यह है कि अगर कोई ठाकुर आफिसर है तो वह ठाकुर चपरासी रखता है, अगर कोई ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण रखता है । अस्पृश्यता को दूर करने के लिए और भी बहुत से ढंग हैं । आप अपने घर में एक एक हरिजन और आदिवासी विद्यार्थी रखिये और उसको पढ़ाइये । लेकिन ऐसा कौन करता है ? आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं । आप कहते हैं कि जमाना बदल रहा है लेकिन आप देखिये कि हमारे भाई बाल्मीकि जी ने लोक सभा में क्या कहा है । मैं उनके भाषण का कुछ हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "इसी तरह से त्यागी गांव के अन्दर एक १७ वर्ष का भंगी का लड़का जिसका कि नाम ओमप्रकाश था और जो बनिये, जाट और ठाकुरों के लड़कों के साथ पढ़ता था, चूंकि वह ज़रा कुछ अच्छे ढंग से पढ़ता था और नम्बर ज्यादा लेता था उसको कत्ल करके उसकी लाश को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया और बाद में बिना किसी इंक्वायरी के उस लाश को जला दिया गया और आज भी गांव वाले लोग उस हरिजन भंगी को ललकार कर कहते हैं कि जा लिवा ला अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट को, तेरे परांवठे इंजन के आ उड़ते हैं ।"

इसी तरह की एक घटना मैं यहां हाउस में और सुनाना चाहता हूं । चांदौख गांव में वहा जो ठाकुर लोग बड़ी अकड़ के साथ रहते हैं उन्होंने एक १२ साल के चमार के लड़के को चार बजे से लगाकर २ बजे तक इतना मारा पीटा कि उस बच्चे का दम निकल गया, उसका मुकद्दमा कोर्ट के अन्दर मौजूद है । यह घटनाएं ऐसी हैं जिनको कि सुनकर दिल में एक दर्द पैदा होता है ।

अब गांव से ज़रा शहरों की ओर चलिये । खुर्जा जंकशन पर रेलवे के नल के ऊपर एक भंगी ने ज़रा सा हाथ एक ठेकेदार के लड़के के लगा दिया तो उस बेचारे भंगी का सिर और हाथ तोड़ डाला गया और उसको लेकर रेलवे मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक मुकद्दमा चल रहा है । कई ऐसी बातें हैं जिनको अगर इकट्ठा किया जाय और सुनाया जाय तो वह भागवत गीता हो जायगी । मैं इस समय ऐसी भागवत गीता पढ़ कर हाउस का समय लेना नही चाहता ।

हमारे एक मुसलमान भाई ने यह कहा कि हरिजनों का मामला ठीक हो रहा है । मैं भी यह नही कहता हूं कि कुछ नही हो रहा है। आप देखिये कि सब स्टेट्स में कई प्रकार के कानून पास हो चुके हैं : Bihar Harijan Act, 1949; The Bombay Harijan Act, 1946; Bombay Harijan Temple Entry Act, 1947; Central Provinces Scheduled Castes Act, 1957; C.P. and Berar Temple Entry Act; East Punjab Act; इसी प्रकार मद्रास, उड़ीसा, यू० पी०, बंगाल हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मैसूर सौराष्ट्र ट्रांवकोर कोचीन और कुर्ग मे ऐक्ट पास हो चुके हैं और काम हो रहा है । मैं नही कहता कि कुछ

नहीं हुआ लेकिन अभी शुरूआत हुई है। अभी स्टेट्स में जैसा काम होना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है। यहां से लाखों रुपये की ग्रांट दी जाती है लेकिन फिर भी ीक काम नहीं होता है। आज हरिजनों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यह मैं मानता हूं कि आज सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा हो रहा है। अब जबकि हम आज़ाद हो गये हैं तब भी अगर हमारा हर समय यह ख़याल बना रहे कि हम चमार हैं, हम महार हैं, हम हरिजन हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। यहां शहरों में आप लोग हमारे साथ सहानुभूति दिखलाते हैं लेकिन देहातों में जो उच्च जाति के लोग हैं वे हमको तकलीफ़ देते हैं। जो ठाकुर लोग हैं, जो मरहटे हैं वे हमसे कहते हैं कि तुम क्यों खटिया पर बैठते हो, क्यों घोड़े पर चढ़ते हो, क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। उनको हमारा उत्कर्ष अच्छा नहीं मालूम होता है। इस प्रकार यह कई तरह की बीमारी है। इस बीमारी को नष्ट करने के लिये महात्मा गांधी ने कार्य किया, कई लोगों ने कार्य किया और अस्पृश्य लोगों ने कार्य किया। लोग कहते हैं कि अस्पृश्य लोग हरिजनों के लिये ज्यादा काम करें। अरे साहब, हजारों वर्ष से हरिजन गुलाम रहे हैं और अभी कुछ थोड़े बहुत लोग ही आगे बढ़े हैं। हालत यह है कि लोगों के दिमाग में और पेट में दर्द पैदा हो जाता है कि अरे यह तो वकील बन गया, यह एम० पी० बन गया, यह बन गया, वह बन गया। इसलिये मेरा कहना है कि यह बीमारी जो है वह बहुत बड़ी है और जो पुराने ख़याल के लोग हैं, सड़े हुये बिचार के लोग हैं उनको हमारे आगे बढ़ने से दुःख लगता है। मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसा कहना पड़ता है, ऐसी खराब बात बोलनी पड़ती है। मेरे में कई त्रुटियां हैं, फिर भी मुझ से जो कुछ हो सकता है वह करता हूं। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं और बदल रहा हूं। तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद वाले श्री मरण भाई हरिजन आश्रम चलाते हैं।

श्री किशोरी राम : बहुत रुपया खा रहे हैं।

श्री पां० ना० राजभोज : यह बात ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिये। मेरा तो यह कहना है कि आपको भी बहुत ज्यादा काम करना चाहिये और हमें अपने पांवों पर खड़े हो कर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। दूसरे के हाथ से पानी पिलावें या दूसरे के हाथ से खाना खिलायें यह बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों और दलित जातियों में आजीवन सेवक हों। जैसे कि 'सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी' के कुंजरू साहब बैठे हुये हैं वैसे ही आदिवासियों और दलित जातियों में से हमारे भारत दलित सेवक संघ की तरफ से अगर ५० भी आजीवन सेवक बन जायें तो बहुत कुछ काम हो जाय और वे आदिवासी और हरिजनों के लिये काफ़ी सेवा का काम करेंगे उसी तत्व से मैंने संस्था स्थापन की है। लेकिन आज तो हर एक आदमी लीडर बनना चाहता है। लीडर बनने से काम नही होता है, सेवा करने से काम होता है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : आप भी तो लीडर हैं।

श्री पां० ना० राजभोज : मैं लीडर नहीं हूं। मैं तो सेवा की दृष्टि से काम करना चाहता हूं। अग्निभोज जी भी बड़ा काम करते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा और अच्छा काम करें। मैं तो ज़बान में सुधार करना चाहता हूं। ज़बान की वजह से कभी कभी नुकसान हो जाता है लेकिन क्या करें, बहुत से हज़ारों प्रकार के दुःख

है और करुण कहानियां हैं। इसी वास्ते मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वे अमल में आनी चाहियें। जो फ़ाइव ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हमको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, सभी दृष्टियों से सभी प्रकार की सहायता मिलनी चाहिये। ज़मीन के बारे में भी बहुत कुछ सहायता मिलनी चाहिये। भूदान यज्ञ में भूदान के लिये बहुत कुछ हो रहा है और उसको हमारे विनोबा जी चला रहे हैं लेकिन अगर वह स्थगित करें, और एक वर्ष तक हमारे हरिजनों के लिये काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सब दृष्टियों से काम होना चाहिये।

(Time bell rings.)

उपसभापति महोदय, आपकी घंटी जब चुकी है और मुझे बहुत सी बातें बोलनी थीं लेकिन मुझे इस वक्त गांधी जी की बात याद आ गई है इसलिये उसको तो ज़रूर ही कहूंगा। इसके बाद और ज्यादा नहीं बोलूगा। जब मैं साबरमती आश्रम में था तब गांधी जी ने लिखा था :

"भाई राजभोज,

मेरे उपवास से तुम घबराहट में नही पड़ना। वहीं रहो और ज्ञानमय सेवा के लिये तैयार हो लो। मैं जिन्दा रहा तो इसी शरीर से सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मर गया तो भी भगवान की दया समझूंगा। देह पड़ने से मेरी सेवा खत्म नहीं होगी। हरिजन सेवा का जो काम आरम्भ हुआ है वह कभी बन्द नहीं हो सकता है। अनशन करते हुये हज़ारों सवर्ण हिन्दुओं का प्राणत्याग हो जाय तो भी मैं उसे अधिक नहीं समझूंगा। मैं तो शायद ही लिख सकूं, तुम ही लिखते रहना। बापू के आशीर्वाद।"

उन्हें हम लोगों से कितना बड़ा प्रेम था और उन्होंने हिन्दुस्तान में बहुत काम किया। ठाकुर बप्पा साहब ने भी बहुत काम किया और अम्बेडकर साहब ने भी किया। तो काम करने का यह तरीका रहता है और इस तरीके से हमारा काम होना चाहिये। होम-मिनिस्टर साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है और हम इसके लिये उनको धन्यवाद देते हैं। जब तक हमारे प्राइम-मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और होम-मिनिस्टर पंत के नेतृत्व में हमारे देश का और हमारी सरकार का जो कुछ काम हो रहा है वह ठीक तरह से होता है तब तक मैं चाहता हूं कि उनकी आज्ञा का पालन करूं और उनके ऊपर विश्वास करूं। हमारा यही फ़र्ज़ है और मैं क्या कर सकता हूं? आदिवासियों और हरिजनो को ऊपर उठाने का जो सवाल है उसके लिये उनके कोआपरेशन के बिना मैं क्या कर सकता हूं। इस काम में उनका भी कोआपरेशन चाहिये और आप सब मैम्बरान लोगों का भी कोआपरेशन चाहिये। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अपोज़ीशन के लोगो ने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। कुछ एक दो आदमियों ने इसके खिलाफ़ बोला है लेकिन उनको ज्यादा महत्व देने से कोई लाभ नही है। ज्यादा से ज्यादा बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। उपसभापति महोदय, आपने मेरे भाषण को बड़ी शान्ति से सुना इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपसभापति : आप क्या यह प्रस्ताव वापस लेते है ?

श्री पां० ना० राजभोज : जी हा, मं उसको वापस लेता हू । माननीय गृह-मंत्री जी ने जो मुझे आश्वासन दिया है उसको ध्यान में रखते हुये मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw the Resolution?

(*No hon. Member dissented.*)

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three other Resolutions. Mr. Mahabir Prasad is not here. Mr. Rajabhoj, are you moving your next Resolution?

श्री पां० ना० राजभोज : जो मुझ आश्वासन दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुये मै इस दूसरे प्रस्ताव को कैसे मूव कर सकता हूं । जब माननीय पंत जी ने इतना आश्वासन दे दिया है तो मै इस स्ताव को कैसे श कर सकता हूं । मै इसको मूव नहीं करना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not moving. Shrimati Savitry Devi Nigam is not here. There is no other business before the House. The House stands adjourned till six o'clock for the presentation of the Budget.

The House then adjourned at fifteen minutes past four of the clock till six of the clock.

The House reassembled at six of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE BUDGET (GENERAL), 1958-59

THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT): Sir, I beg to lay on the Table a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 1958-59.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 3rd March 1958.